एल—33001/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 13] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 27, 1993 (चैत्र 6, 1915)
No. 13] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 27, 1993 (CHAITRA 6, 1915)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	367
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	341
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	3
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	465
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खण्ड 1-क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिसमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों जिनमें (सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी अधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	313
भाग III—खण्ड 2—पेटेन्ट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस	217
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	*
भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	11407
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	45
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को देने वाला अनुपूरक	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं ।

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	367
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	341
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.	3
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	465
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative texts in Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India, (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, Published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION—4 Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	313
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	217
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	11407
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private bodies.	45
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi.	*

*Folio Nos. not received

भाग I—खण्ड 1
[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 13 मार्च 1993

सं० 52-प्रेज०-93-राष्ट्रपति निम्नलिखित व्यक्तियों को "सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक" पुरस्कार प्रदान करने की स्वीकृति देते हैं :—

1. श्री जावेद,
   म० नं० 41/3, अहीरपुरा, (मरणोपरांत)
   जहांगीराबाद,
   भोपाल ।

13 जनवरी, 1991 को 8.40 बजे प्रातः श्री मोती लाल जैन के घर में एक गैस सिलिण्डर फट गया और इससे आग लग गई । श्री जैन घर पर नहीं थे । उनकी पत्नी श्रीमती विमला बाई और तीन बच्चे जलते हुए कमरे में फंस गए । श्रीमती विमला मदद के लिए चिल्लाई । उनके पड़ौसी, श्री जावेद अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना जलते हुए कमरे में घुसे और श्रीमती विमला बाई और उनके तीन बच्चों को कमरे से बाहर निकाल लाए। ऐसा करते हुए, वे स्वयं बुरी तरह झुलस गए (शरीर का 99 प्रतिशत जल गया था) और अधिक जल जाने के कारण 18-1-1991 को उनकी मृत्यु हो गई ।

श्री जावेद ने चार लोगों को आग से बचाने में अदम्य साहस और तत्परता का परिचय दिया, परन्तु दुर्भाग्यवश इस प्रक्रिया में उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा ।

2. श्री बचन सिंह पोखरियाल,
   गार्ड कीपर,
   स्टेट बैंक आफ इण्डिया,
   उत्तरकाशी, उ० प्र० ।

20 अक्तूबर, 1991 की रात्रि में लगभग 2.55 बजे स्टेट बैंक आफ इण्डिया, उत्तरकाशी की बिल्डिंग भीषण भूकम्प के कारण ढह गई, यह देखकर गार्ड कीपर, श्री बचन सिंह मदद के लिए चिल्लाया । वह स्वयं बिना समय गंवाए ढहती हुई बिल्डिंग में घुसे और मलवे में फंसे तीन व्यक्तियों को बाहर लाने में सफल रहे। उन्होंने 12 करोड़ रु० की बैंक की नकद राशि को बचाने में अहम भूमिका निभाई ।

इस प्रकार अपनी जान के प्रति गम्भीर जोखिम की परवाह किए बिना श्री बचन सिंह ने तीन व्यक्तियों की जान और बैंक की नकद राशि बचाने में अदम्य साहस और दृढ़ निश्चय का परिचय दिया ।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

सं० 53-प्रेज०/93-राष्ट्रपति निम्नलिखित व्यक्तियों को "उत्तम जीवन रक्षा पदक" पुरस्कार प्रदान करने की स्वीकृति देते हैं :—

1. श्री इन्डीपेंडेंटा,
   इलेक्ट्रिक वेंग, शुंगले, (मरणोपरांत)
   मिजोरम ।

18 जुलाई, 1992 को सायं 5 बजे कुमारी चिंगी मिट्टी के तेल के स्टोव पर खाना पका रही थी । खाना पकाते हुए उसने स्टोव में मिट्टी का तेल डाला जिससे स्टोव ने आग पकड़ ली । इस प्रक्रिया में कुमारी चिंगा के कपड़ों में आग लग गई और वह मदद के लिए चिल्लाई । उसकी चीख-पुकार सुनकर श्री इन्डीपेंडेंटा जो उसी बहु मंजिली इमारत की पहली मंजिल में रहते थे, उसे बचाने के लिए भागे । वे कुमारी चिंगी के कमरे में घुसकर उसे बाहर निकाल लाए। चूंकि स्टोव अभी भी खतरनाक ढंग से जल रहा था, अतः उन्होंने इमारत में रह रहे बाकी लोगों के लिए खतरा महसूस किया । वे फिर से घर के अन्दर गए और जलते हुए स्टोव को बाहर फेंक दिया । इस प्रक्रिया में वह बुरी तरह जल गए वे नीचे लुढ़कते हुए इमारत के बाहर निकल पाए और बेहोश हो गए । बेहोशी की हालत में ही उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां 21 जुलाई, 1992 को उनकी मृत्यु हो गई ।

श्री इन्डोपेन्डेंटा ने एक असहाय लड़की को बचाने में अनुकरणीय साहस और मानव जीवन के प्रति अनुराग का परिचय दिया और इस प्रक्रिया में सर्वोच्च बलिदान किया ।

2. श्री संजय,
   235, मोहल्ला धर्मपुरी, (मरणोपरांत)
   उत्तरी सिविल लाइन,
   थाना सिविल लाइन,
   मुजफ्फर नगर ।

20 अगस्त, 1992 को रात्रि लगभग 9.30 बजे श्री संजय ने, जो अपने मित्रों के साथ रेलवे लाइन के पास खड़े थे, मेरठ की तरफ से एक रेलगाड़ी आती देखी। उन्होंने यह भी देखा कि एक आदमी उसी पटरी पर सोया हुआ है। श्री संजय ने खतरे को महसूस किया और उनके बचाव के लिए दौड़े। उन्होंने तुरन्त उसे पटरी से बाहर खींच लिया और इस प्रकार उसकी जान बचाई। लेकिन इस प्रक्रिया में वे बुरी तरह घायल हो गए और बाद में उन्होंने दम तोड़ दिया।

7. श्री संजय ने एक व्यक्ति की रेलगाड़ी के नीचे कुचले जाने से जान बचाने में अदम्य साहस और तत्परता का परिचय दिया लेकिन दुर्भाग्यवश इस प्रक्रिया में उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा।

3. कुमारी रीता गुप्ता,
ग्राम देवरिया रामनाथ,
वार्ड नं० 4, सी० सी० रोड का पश्चिम,
थाना कोतवाली, तहसील एवं जिला देवरिया।

24/25 जनवरी, 1990 की रात 12 बजे, हथियारों और बम से लैस चार डाकुओं ने श्री गंगा प्रसाद गुप्ता के घर पर हमला बोला। उन्होंने बम विस्फोट से घर की एक दीवार उड़ा दी और परिवार के कई सदस्यों को घायल कर दिया। डाकुओं ने कीमती सामान की मांग शुरू कर दी। यह देखकर कुमारी रीता गुप्ता अपने आप को नहीं रोक सकीं और डाकुओं पर झपट पड़ीं। हाथापाई के दौरान, परिवार के अन्य सदस्यों को भी उन्हें पकड़ने का मौका मिल गया। वे मदद के लिए चिल्लाए और एक पुलिस गश्ती दल वहां पहुंच गया। डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया गया। यदि कुमारी रीता गुप्ता डाकुओं पर नहीं झपटती तो उन्होंने परिवार के सभी सदस्यों को मार दिया होता।

कुमारी रीता गुप्ता ने अपनी जान के प्रति जोखिम की परवाह किए बिना अपने परिवार के सदस्यो का जीवन बचाने में अदम्य साहस और तत्परता का परिचय दिया।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं० 54-प्रेज०/93—राष्ट्रपति निम्नलिखित व्यक्तियों को "जीवन रक्षा पदक" पुरस्कार प्रदान करने की स्वीकृति देते हैं :—

1. श्री मिलापल्लो मुसलैया,
मकान न० 5-46, पाण्डरूवाणिपेट,
एच/ओ थोनौगी, गारा मण्डड,
जिला श्रीकाकुलम,
आंध्र प्रदेश।

3 फरवरी, 1992 को महोदय त्यौहार में श्रीकाकुलम जिले में कलिपंट्टनम् समुद्री तट पर वांसधारा नदी के समुद्र में मिलने के स्थान से लगभग 50 व्यक्तियों को एक फाइबर नाव से घुमाने के लिए ले जाया गया। रास्ते में नाव के इंजन में खराबी आ गई और वह उलट गई। सभी यात्री अपने प्राण बचाने के लिए जूझ रहे थे। उनकी दशा देखकर श्री मिलापल्ली मुसलैया, जो खुद विकलांग थे, उनके बचाव के लिए दौड़ पड़े। वे तुरन्त ही समुद्र में कूद गए और पीड़ितों को समीप ही खड़ी नाव तक लाना आरम्भ कर दिया। बाद में, मछुआरा समुदाय के कुछ अन्य लोग बचाव कार्य में उनके साथ लग गए। इस प्रकार से लगभग 25 अमूल्य प्राणों की रक्षा की गई। श्री मुसलैया और आगे समुद्र में गए मृत व्यक्तियों के शवों को ढूढ़ने लगे। उन्होंने तीन शव पकड़ लिए और उन्हें अपने कंधों पर रख कर किनारे तक ले आए।

श्री मिलापल्ली मुसलैया ने अपनी विकलांगता (एक टांग में पोलियो) के बावजूद अपने प्राणों की बिल्कुल परवाह न करते हुए लगभग 25 व्यक्तियों के प्राण बचाने में अदम्य साहस व तत्परता का परिचय दिया।

2. श्री अनिल कुमार,
262/8, कृष्णा कालोनी,
भिवानी,
हरियाणा।

16 जुलाई, 1991 को लगभग प्रातः 1.30 बजे कुछ डकैत मकान नं० 263/8 कृष्णा कालोनी, भिवानी में घुस गए। उन्होंने मकान मालिक श्री हरीश कुमार को बांध दिया और उनसे चाबियां छीन कर कीमती सामान इकट्ठा करने लग गए। इसे देखते हुए उनकी पत्नी श्रीमती मीना चिल्ला पड़ी क्योंकि डाकू अपने हाथों में छुरे लिए हुए थे। श्री अनिल कुमार जो मकान नं० 262/8 के एक कमरे में सोए हुए थे, मकान नं० 261/8 की छत पर गए और घटना के बारे में मालूम किया। वह अपने घर में गए और एक टार्च लाए और अपने पड़ोसी के घर में गए। एक डाकू ने उन पर छुरे से वार कर दिया जिसे उन्होंने टार्च की मदद से रोक लिया। श्री अनिल कुमार का भाई श्री सुनिल कुमार भी उसकी सहायता के लिए आ गया। उन्होंने एक डाकू को पकड़ लिया। श्री अनिल कुमार ने एक डाकू से हथियार छीन लिया और उनके साथ संघर्ष करना शुरू कर दिया। एक डाकू ने जो घर में था और तिजोरी से गहने व नकदी उठा रहा था, जब यह देखा कि उसका साथी बाहर नहीं आया तो उसने श्री अनिल कुमार पर चाकू से वार कर दिया और श्री अनिल कुमार घायल हो गए परन्तु इसके बावजूद वे डाकुओं का मुकाबला करते रहे। वह डाकुओं से सभी हथियार छीनने में सफल हो गए और डकैती के उनके प्रयास को विफल कर दिया परन्तु इस कार्रवाई में वे बुरी तरह ऐसे घायल हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया और समय पर इलाज हो जाने के कारण उनके प्राण बचा लिए गए।

श्री अनिल कुमार ने अपने प्राणों की परवाह किए बिना डाकुओं को रोकने तथा प्राणों की रक्षा करने में अदम्य साहस और तत्परता का परिचय दिया।

3. मा० प्रदीप कुमार टांक,
गवर्नमेंट हाई स्कूल,
मेहलाना (सोनीपत),
हरियाणा।

26 जून, 1991 को मेहलाना गांव की पाँच औरतें अपने कपड़े धोने के लिए पश्चिम यमुना नहर गईं। वे नहर के गहरे पानी में गिर पड़ीं और सहायता के लिए चीखने चिल्लाने लगीं। मा० प्रदीप कुमार टांक ने जो उस स्थान के निकट ही थे, उनका पुकार सुनकर दौड़ता चला आया और अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना नहर में कूद पड़ा। वह दो औरतों को नहर से बाहर लाने में सफल हो गया। उसने शेष तीन औरतों को भी बचाने का प्रयास किया, परन्तु वह उनको ढूंढ नहीं सका क्योंकि वे डूब चुकी थीं।

इस तरह से मा० प्रदीप कुमार टांक ने अपने प्राणों की परवाह किए बिना दो औरतों के प्राण बचाने में अदम्य साहस एवं तत्परता का परिचय दिया।

4. श्री करिंगट्टिल थझा कुनियिल काणन,
पो० ओ० पथियारक्कड़ा (वरास्ता),
पड्प्पनम, वडकरा,
केरल।

16 नवम्बर, 1990 को जब कु० बिन्दु, कु० सविता और चतोत जानू अम्मा कुट्टियाडी नदी में स्नान कर रही थीं तब बिन्दु और सविता फिसल कर नदी में गिर पड़ीं और डूबने लगीं थीं क्योंकि उन्हें तैरना नहीं आता था। जानू अम्मा ने उन्हें बचाने का एक प्रयास किया परन्तु दुर्भाग्यवश बिन्दु ने उसे पकड़ने की कोशिश की। इस कोशिश में वे तीनों गहरे पानी में डूबने लगीं। 75 वर्ष की आयु के एक वृद्ध व्यक्ति करिंगट्टिल थझा कुनियिल काणन ने जो अपनी नाव में मछली पकड़ रहे थे, उनकी दशा देखा और तुरन्त ही उसकी सहायता के लिए आ पहुंचे। तत्काल ही वह उस स्थल पर पहुंचे और उनमें से एक को डूबने से बचा लिया और उसे अपनी नाव पर ले आए। तब तक दो अन्य लड़कों नदी में नीचे डूब चुकी थीं। यद्यपि श्रीकाणन हलांकि बहुत कमजोर थे, फिर भी वे नदी में कूद गए उन दोनों को सुरक्षित बाहर ले आए।

श्री करिंगट्टिल थझा कुनियिल काणन ने अपने जीवन के प्रति गंभीर खतरे की परवाह न करते हुए डूबती हुई तीन महिलाओं के प्राणों को बचाने में अदम्य साहस और तत्परता का परिचय दिया।

5. श्री के० ई० मोहम्मद अब्दुल खादर,
कान्डतिल हाऊस रिया वार्ड,
अलप्पुझा,
केरल।

6. श्री पी० एस० अशरफ,
देवसोम पुरयादम,
सिविल स्टेशन वार्ड,
अलप्पुझा,
केरल।

5 अक्तूबर, 1989 को बिजली की एक लाइन टूट गई और करेंट वाली तार श्री कबीर के रिहायशी मकान के अहाते में गिर पड़ी। श्री कबीर की पचास वर्षीय माता श्रीमती नबीसा अपने दो पोता-पोती के साथ मकान से बाहर आ रही थीं। अशिक्षित होने तथा करेंट वाली तार को छूने के परिणाम से अनभिज्ञ होने के कारण उन्हें बिजली का जबरदस्त झटका लगा। वह औरत तथा बच्चे सहायता के लिए चिल्ला पड़े। उनकी पुकार सुनकर अपने मकान की मरम्मत कार्य कर रहे श्री के० ई० मोहम्मद अब्दुल खादर उनके बचाव के लिए दौड़े आए। उन्होंने दो बच्चों को सफ़लतापूर्वक करेंट वाली तार से अलग कर दिया। तथापि वृद्धा को बचाने के प्रयास में उन्हें एक जोर का झटका लगा और वे दूर जा गिरे। वह घर से तुरन्त ही बाहर निकले और सहायता के लिए पुकार की जिसे पास से गुजर रहे अशरफ ने सुन लिया जो राज्य परिवहन विभाग में एक इलेक्ट्रिशियन थे। वह तुरन्त ही श्री मोहम्मद अब्दुल खादर की सहायता से बिजली के खम्भे पर जा चढ़े और करेंट वाली तार को दूर हटा लिया। उसके बाद श्री मोहम्मद अब्दुल खादर घटना स्थल की ओर दौड़े और उस तार को हटा लिया जो अभी भी श्रीमती नबीसा के हाथों में थी। तब तक श्रीमती नबीसा बेहोश गई थीं और उनका हाथ पूरी तरह से झुलस गया था।

श्री अशरफ और श्री मोहम्मद अब्दुल खादर तीनों पीड़ितों को इलाज के लिए अस्पताल ले गए।

सर्वश्री के० ई० मोहम्मद अब्दुल खादर और श्री पी० एस० अशरफ ने अपने प्राणों के प्रति जोखिम की परवाह किए बिना वृद्धा और उसके दो पोता-पोती की बिजली की करेंट से जान बचाने में अदम्य साहस और तत्परता का परिचय दिया।

7. श्री रामाकृष्णा, (मरणोपरांत)
दुर्गाकेरी होन्नावर,
उत्तर कन्नड़ जिला,
कर्नाटक।

दिनांक 11 जुलाई, 1991 को छह वर्षीय बालक दीपक वीरप्पा नायक दुर्घटना वश अपने घर के नजदीक बिजली के खम्भे से टूट कर एक करेंट वाले तार के संपर्क में आ गया और वह सहायता के लिए चिल्ला रहा था। श्रीमती सूरेखा ने यह दृश्य देखा और अपने पति स्वर्गीय रामाकृष्णा को बताया। श्री रामाकृष्णा तत्काल घटना स्थल पर पहुंचे और बच्चे को बचा लिया। परन्तु दुर्भाग्यवश, बचाव की इस प्रक्रिया में वह स्वयं उस तार के संपर्क में आ गए और करेंट लगने से उनकी मृत्यू हो गई।

स्वर्गीय श्री रामाकृष्णा ने छह वर्षीय बच्चे की जान बचाने में अदम्य साहस और तत्परता का परिचय दिया परन्तु इस कार्य में वे अपनी जान गंवा बैठे।

8. श्रीमती शारदा,
पत्नी श्री टी० एस० कनकन,
किझाथईल,
कोट्टामकुलानगरा वार्ड,
अवालुक्कन्नु डाकघर,
अलाप्पुजा–688007,
केरल।

31 मार्च, 1991 को एक देसी नौका जिसमें महिलाओं सहित खेतिहर मजदूर सवार थे, झील के बीच में उलट गई और उसके सभी यात्री नौका से उछलकर झील में जा गिरे। वे सभी सुरक्षा के लिए किनारे की तरफ तैर रहे थे। नौका यात्रियों में से एक श्रीमती शारदा ने जब संघर्ष कर रहे अपने सहकर्मियों की सहायता के लिए चीख पुकार सुनी तो वह तट की ओर तैरने लगीं। वह तत्काल उनके पास पहुंची। उन्होंने श्रीमती बीजी और श्रीमती अप्पी को बालों से पकड़ा और उन्हें अपने कंधों पर डालकर पानी में बह रहे टूटी नौका के टुकड़ों के बीच से तैरते हुए सूरक्षित स्थान की ओर चल पड़े। उसी समय उन्होंने अपनी एक सम्बन्धी श्रीमती ओमना जो अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रही थीं की धीमी पुकार सुनी। बिना किसी झिझक के वह दुबारा नौका पर पहुंची। श्रीमती शारदा ने डूबती हुई असहाय श्रीमती ओमना को बालों से पकड़ लिया और टूटी हुई नौका के तैरते हुए टुकड़ों पर खींच लाई। इसी बीच किनारे से लोग एक नौका में बैठकर वहां पहुंच गए और उन सबको बचा लिया।

श्रीमती शारदा ने अपनी जान की खतरे की परवाह किए बिना तीन डूबती हुई महिलाओं को जान बचाने में अनुकरणीय साहस और तत्परता का परिचय दिया।

9. मास्टर दिलीप,
पुत्र श्री धुड़मल,
यात्रा मैदान धानसर रोड,
सतवास, तहसील कनौड,
जिला देवास,
मध्य प्रदेश।

10. मास्टर महेश,
पुत्र स्वर्गीय सोहन लाल,
यात्रा मैदान, धानसर रोड,
सतवास, तहसील कनौड,
जिला देवास,
मध्य प्रदेश।

11. मास्टर रघु,
पुत्र श्री फूल सिंह,
यात्रा मैदान धानसर रोड,
सतवास, तहसील कनौड,
जिला देवास,
मध्य प्रदेश।

14 जून, 1992 को 7 महिलाएं और एक 12 वर्षीय लड़की–लकड़ियां इकटठी करने के लिए जंगल में गईं। लौटते समय वे आराम करने तथा पानी पीने के लिए चन्द्रकेसर नदी पर रूकीं। 12 वर्षीय कुमारी मनबाई स्नान करने लगी। वह गहरे पानी में उतर गई और डूबने लगीं। यह देखकर कुमारी मनबाई को बचाने के लिए अन्य महिलाएं नदी में कूद पड़ी किन्तु वे भी डूबने लगीं। यह देखकर मास्टर दिलीप जो नजदीक ही नहा रहे थे उन्हें बचाने के लिए नदी में कूद पड़े। डूबती हुई महिलाओं ने मास्टर रघु और मास्टर दिलीप के पांव पकड़ लिए। मास्टर महेश ने किसी तरह से स्वयं को उनकी पकड़ से छुड़ा लिया और उन्हें पानी से बाहर ले आए। मास्टर रघु एक महिला को पानी से बाहर ले आए और फिर अन्य महिलाओं की जान बचाने के लिए मास्टर महेश और मास्टर दिलीप की मदद में जुट गए।

मास्टर दिलीप, मास्टर महेश और मास्टर रघु ने डूबने से सात महिलाओं की जान बचाने में अदम्य साहस और तत्परता का परिचय दिया और उन्होंने अपने जीवन के प्रति खतरे की परवाह न करते हुए डूबने से छह और महिलाओं की जान बचाने में मास्टर महेश की मदद की।

12. श्री केदार नाथ पाटिल (मरणोपरांत)
सरपंच, ग्राम पंचायत
जिगांव खुड,
जिला हार्दा,
मध्य प्रदेश।

3 अप्रैल, 1988 को श्री भगवान दास गूजर के घर में अचानक आग लग गई और यह फैलकर आस-पास के घरों तक जाने लगी। यह देखकर कि आग पर काबू नहीं पाया जा सकता, स्वर्गीय श्री केदार नाथ पाटिल आग की खबर देने अपनी मोटर साईकिल से आसपास के गांवों में गए और आग पर काबू पाने के लिए प्रशासन की सहायता मांगने हार्दा भी गए। प्रशासन को सूचित करने के तत्काल बाद वह घटना स्थल पर वापस आए और आग बुझाने के लिए प्रयास शुरू कर दिए। इस प्रक्रिया में वे कई जगह से जल गए और मौके पर ही बेहोश हो गए। उन्हें इलाज के लिए हार्दा ले जाया गया परन्तु अधिक जल जाने से उनकी मृत्यू हो गई।

श्री केदार नाथ पाटिल ने आग से अनेक व्यक्तियों की जान बचाने के अपने प्रयासों में अदम्य साहस और तत्परता का परिचय दिया, परन्तु दुर्भाग्यवश उस प्रक्रिया में वे अपनी जान गंवा बैठे।

13. कुमारी मीनाक्षी सेन,
गौड नर्सिंग होम के सामने,
खुर्जेवाला मोहल्ला,
दौलत गंज, लश्कर,
ग्वालियर,
मध्य प्रदेश।

11 मार्च, 1991 को 11 वर्षीय मास्टर अवनीश कुछ बच्चों के साथ गौड़ नर्सिंग होम के सामने खेल रहा था। वह एक बिजली के खंभे के संपर्क में आ गया और उससे चिपक कर रह गया क्योंकि खंभे में करंट आ रहा था। वह सहायता के लिए चिल्लाया। वहां कई लोग एकत्र हो गए परन्तु कोई भी उसे बचाने के लिए सामने आने की हिम्मत नहीं कर सका। कुमारी मीनाक्षी सेन जब अपने घर के भीतर थीं, चीख सुनकर बाहर आईं। वह निस्सहाय बच्चे के पास पहुंची और लकड़ी के एक टुकड़े की सहायता से उसने बच्चे को खंभे से अलग कर दिया और इस प्रकार उसकी जान बचाई।

कुमारी मीनाक्षी सेन ने अपनी जान को खतरे की परवाह किए बिना बिजली का करंट लगने से एक बच्चे की जान बचाने में अदम्य साहस और तत्परता का परिचय दिया।

14. मास्टर मोहम्मद दाऊद सिद्दिकी,
पुत्र श्री ए० एस० सिद्दीकी,
टेलकम कालोनी, क्वार्टर नं० 11/8,
ईदगाह हिल्स, भोपाल,
मध्य प्रदेश।

24 दिसम्बर 1990 को कुछ बच्चे लुका-छिपी का खेल खेल रहे थे। 5 वर्षीय कुमारी ऊषा छिपने के लिए एक कूड़ेदान में चली गई जिसमें कूड़े का ढेर जल रहा था। वह कुछ जल गई और सहायता के लिए चीखी चिल्लाई। 5 वर्षीय मास्टर मोहम्मद दाऊद सिद्दिकी नमाज अदा करने के बाद उसी समय मस्जिद से लौटा था। वह उसे बचाने के लिए वहां पहुंचा और उसे कूड़ेदान से बाहर निकाल लाने में सफल रहा। इस प्रक्रिया में वह स्वयं गंभीर रूप से जल गया और बेहोश हो गया।

मास्टर मोहम्मद दाऊद सिद्दीकी ने अपनी छोटी उम्र के बावजूद अपनी जान के प्रति खतरे की परवाह किए बिना, जलने से एक लड़की की जान बचाने में अदम्य साहस और तत्परता का परिचय दिया।

15. श्री अमरचन्द तुकाराम पाटिल,
सुगवेकर अली, नेरल,
तालुक करजट, जिला रायगढ़,
महाराष्ट्र—401101।

24 जुलाई, 1989 को करजट तालुका में भारी बाढ़ आ गई थी। उल्हास नदी के तट पर स्थित नेरल का एक छोटा सा मकान बाढ़ के पानी में घिर गया था और 17 व्यक्ति उसमें फंस गए थे। इन 17 व्यक्तियों का जीवन खतरे में था। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें बचाने का प्रयत्न किया लेकिन सफलता नहीं मिली। श्री अमरचन्द तुकाराम पाटिल अपनी जान को खतरे में डालकर जलमग्न मकान तक पहुंचे और एक रस्सी की सहायता से सभी व्यक्तियों की जान बचाने में सफल रहे।

श्री अमरचन्द तुकाराम पाटिल ने अपनी जान को गंभीर खतरे की परवाह किए बिना 17 व्यक्तियों की जान बचाने में उच्चकोटि के साहस और तत्परता का परिचय दिया।

16. श्री वसन्त नारायण मोरे,
अब्दुल रजाक बिल्डिंग, पन्वेल,
मकान नं० 10, परदेश अली, पन्वेल,
जिला रायगढ़, महाराष्ट्र।

5 अगस्त, 1988 को एक स्कूल बस जिसमें 54 छात्र थे हिंदुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड के नजदीक एक बड़ी-सी खाई में जा गिरी जिसमें अम्लयुक्त दूषित पानी भरा हुआ था। श्री वसन्त नारायण मोरे देखते ही बच्चों को बचाने के लिए दौड़ पड़े। उन्होंने फौरन पानी में छलांग लगा दी और बदकिस्मत बस तक जा पहुंचे। उन्होंने बस के शीशे तोड़ दिए और बस के अन्दर घुस गए। वे बस में फंसे सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लाए और ऐसा करते हुए उनका पूरा शरीर अम्लकृत पानी से झुलस गया।

श्री वसंत नारायण मोरे ने अपनी जान को गंभीर खतरे की बिल्कुल कोई परवाह किए बिना 54 छात्रों की जान बचाने में अदम्य साहस और तत्परता का परिचय दिया।

17. मास्टर यू० रिपिल बरेह,
खिम्मु निर्याग, जोवाई,
जैन्तिया हिल्स,
मेघालय।

25 अप्रैल, 1992 को एक बारह वर्षीय बालक, मास्टर लमडीया सुशेन नहाते समय मिन्तदु नदी में डूबने लगा था। बालक अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहा था। 14 वर्षीय एक अन्य बालक, मास्टर यू० रिपिल बरेह ने, जो उस समय वहाँ मौजूद था उसकी यह दशा देखी और उसे बचाने के लिए दौड़ा आया। वह फौरन नदी में कूद पड़ा (नदी का यह भाग खतरनाक माना जाता है और पिछले वर्षों में दो व्यक्ति वहां मर चुके थे) और डूबते हुए लड़के के पास जा पहुंचा। उसने लड़के को पकड़ लिया और उसे अपनी पीठ पर चढ़ाकर नदी तट तक तैरता हुआ वापस आया। इस बीच कुछ लोग वहां इकट्ठे हो गए और प्राथमिक उपचार किया। बाद में लड़के को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया।

मास्टर यू० रिपिल बरेह ने अपनी जान को गंभीर खतरे की परवाह किए बिना डूबते हुए लड़के (जिसे वह पहले से जानता नहीं था) की जान बचाने में अनुकरणीय साहस और तत्परता का परिचय दिया।

18. मास्टर लल्हमांगैहा,
सुपुत्र स्व० श्री जेंगसैलोवा,
ग्राम चिथार,
लुगलई जिला,
मिजोरम।

चिथार ग्राम के निवासी श्री देंगसलोवा अपने पुत्र मास्टर लल्हमांगैहा के साथ 9 जुलाई, 1992 को चावल इकठ्ठा करने थांगते ग्राम जा रहे थे । जब वे अपने गांव से लगभग [illegible] कि० मी० की दूरी पर कांलैक नदी के किनारे-किनारे चल रहे थे तो उनका सामना अचानक एक जंगली भालू से हो गया जो श्री देंगसलोवा पर हमला करने वाला ही था । श्री देंगसैलोवा ने अपना दाव निकाला तथा भालू को डरा कर भगाने के लिए वे तेज आवाज में चिल्लाए । लेकिन भालू ने उन पर हमला कर दिया और दोनों के बीच संघर्ष शुरु हो गया । भालू ने उनको परास्त कर नीचे गिरा दिया तथा उनके चेहरे, गले तथा सिर को जगह-जगह पर काट खाया । यह सब देख कर मास्टर लल्हमांगैहा अपने पिता की सहायता को दौड़ पड़े । उन्होंने नीचे गिर पड़े अपने पिता की दाव को उठा लिया तथा अपनी पूरी शक्ति से उन्होंने भालू पर दाव से अनेक बार प्रहार किया । इस पर भालू उनकी ओर मुड़ा तथा उन पर हमला कर दिया । भालू ने लड़के की जांघ को काट खाया जिसके परिणामस्वरूप उसके शरीर से काफी खून निकलने लगा । लेकिन लड़के ने साहस नहीं खोया तथा अपने दाव से उसने भालू के चेहरे पर जोर से प्रहार किया जिससे भालू जंगल में भाग गया । अपने घावों की परवाह न करते हुए लड़के ने अपने पिता की सेवा-सुश्रुषा करनी शुरू कर दी जिनके शरीर से काफी रक्त बह रहा था और जिनकी स्थिति खराब होती जा रही थी । उसने उन्हें लिटा दिया तथा अपने घावों की परवाह न करते हुए वह गांव वालों को इस घटना की जानकारी देने के लिए दौड़ पड़ा । जब तक गांव वाले घटनास्थल पर पहुंचते तब तक श्री देंगसैलोवा की मृत्यु हो चुकी थी ।

मास्टर लल्हमांगैहा ने अपनी जान के प्रति गंभीर खतरे की परवाह न करते हुए जंगली भालू के पंजे से अपने पिता की जान बचाने में अदम्य साहस का परिचय दिया ।

19. श्री गुलबदन तल्ली (मरणोपरांत)
खापरसाही,
पो०/थाना—देवगढ़,
जिला——सम्बलपुर,
उड़ीसा ।

उत्कल विश्वविद्यालय के छात्रों का एक ग्रुप 11 अगस्त, 1990 को मंडल विरोधी आंदोलन के दौरान उड़ीसा राज्य परिवहन निगम की एक बस को जबरदस्ती वाणि विहार कैम्पस ले गया था । उन्होंने बस तथा ड्राइवर पर पैट्रोल छिड़क कर बस में आग लगा दी थी । बस के ड्राइवर, श्री गुलबदन तल्ली ने सार्वजनिक संपत्ति को इस प्रकार क्षति पहुंचाए जाने का विरोध किया तथा कर्मचारियों तथा यात्रियों के सकुशल बाहर निकलने तक बस से बाहर जाने से इंकार कर दिया । जलने के कारण वे गंभीर रूप से घायल हो गए तथा उनकी मृत्यु हो गई ।

अनेक यात्रियों के जीवन तथा सार्वजनिक संपत्ति को बचाने के प्रयास में श्री गुलबदन तल्ली ने अदम्य साहस और आदरणीय कर्तव्यनिष्ठा का परिचय देते हुए अपने जीवन का बलिदान कर दिया ।

20. सुश्री कमलेश वर्मा
3-बी० एच०-10-विज्ञान नगर
कोटा,
राजस्थान ।

मयंक सेकेण्डरी स्कूल कोटा के छात्र और शिक्षक भ्रमण के लिए 13 फरवरी 1988 को रामेश्वरम (जिला बूंदी) गए थे । यह स्थान पहाड़ियों के बीच स्थित है । इस क्षेत्र में एक नाला भी है जो जमीन से 50 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है । जब भ्रमणकारी दल भोजन कर रहा था तो मधुमक्खियों के तीन छत्तों की मधुमक्खियों ने अचानक उन पर हमला कर दिया । इसके परिणामस्वरूप 7 छात्र और 2 शिक्षक बेहोश हो गए थे। विद्यालय की एक छात्रा सुश्री कमलेश वर्मा ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए उन्हें अपने कंधे पर उठाकर नाला की सीढ़ियों को पार कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और इस प्रकार उनके जीवन की रक्षा की ।

सुश्री कमलेश वर्मा ने अपने जीवन के प्रति गंभीर खतरे की परवाह न करते हुए 9 व्यक्तियों के जीवन की रक्षा करने में अदम्य साहस और तत्परता का परिचय दिया ।

21. श्री रूप प्रकाश शुक्ला
सुपुत्र श्री ओम प्रकाश शुक्ला
चतिकमा मोहल्ला,
करोली,
राजस्थान ।

श्री बुद्धू तथा श्री बनवारी, जिनकी उम्र क्रमश: 12 और 18 वर्ष है, 30 जुलाई, 1990 को तालाब में नहाते समय अपना नियंत्रण खो बैठे तथा डूबने लगे। हालांकि वहां पर काफी लोग इकठ्ठा हो गए थे लेकिन उनमें से किसी ने भी डूबते हुए व्यक्तियों की जान बचाने के लिए पहल नहीं की । इसी समय, श्री रूप प्रकाश शुक्ला, जो वहां स्नान करने आए थे, तालाब में डूब रहे व्यक्तियों को बचाने के लिए दौड़ पड़े तथा दोनों व्यक्तियों को सफलतापूर्वक तालाब से बाहर निकाल लाए । इस प्रकार उन्होंने दो अमूल्य प्राणों की रक्षा की ।

दिनांक 17, 19 और 24 मार्च, 1992 को कला देवी मेले में भाग लेने के लिए विभिन्न स्थानों से लोग आए हुए थे और केलोसिल नदी में स्नान कर रहे थे। उनमें से कुछ लोग गहरे पानी में उतर गए और डूबने ही वाले थे कि श्री रूप प्रकाश शुक्ला ने अपनी जान जोखिम में डालकर तीन मौकों पर क्रमश: एक 9 वर्षीय लड़के, सुशीला देवी

नाम की एक महिला और श्री प्रेम सिंह जाटव को डूबने से बचाया ।

दिनांक 26 मार्च, 1991 को, एक इलेक्ट्रिशियन श्री सम्पू बिजली के कुछ उपकरणों की मरम्मत करते समय बिजली के करन्ट वाली तारों के सम्पर्क में आ गए और उनसे चिपक गए । श्री शुक्ला ने लकड़ी के एक टुकड़े की मदद से तारों को हटाया और उसे इलाज के लिए अस्पताल ले गए ।

इस प्रकार श्री रूप प्रकाश शुक्ला ने अपनी जान के प्रति खतरे की परवाह किए बिना उत्कृष्ट साहस और तत्परता दिखाते हुए विभिन्न अवसरों पर पांच व्यक्तियों को डूबने से और एक व्यक्ति की करंट लगने से जान बचाई ।

22. श्री गौरव सक्सैना (मरणोपरांत)
बी–110, टोंस कालोनी,
डाक पत्थर,
देहरादून,
उत्तर प्रदेश ।

दिनांक 13 मई, 1991 को श्री गौरव सक्सैना और श्री विवेक अन्य दोस्तों के साथ बैराज पर घूमने गए हुए थे । घूमने और स्केटिंग के बाद श्री विवेक और श्री गौरव सक्सैना नहाने के लिए बैराज में घुस गए । नहाते समय श्री विवेक पानी की तेज धार में बह गए। चूंकि उन्हें तरना नहीं आता था, अतः वे सहायता के लिए चिल्लाए । श्री विवेक की जान बचाने के लिए श्री गौरव सक्सैना गहरे पानी में कूद पड़े परन्तु पानी की तेज धार में कुछ देर तैरने के बाद थक गए और अपने दोस्त की जान बचाने में स्वयं बैराज के गहरे पानी में डूब गए ।

श्री गौरव सक्सैना ने अपने दोस्त की जान बचाने की कोशिश में उत्कृष्ट साहस और तत्परता का प्रदर्शन किया परन्तु दुर्भाग्यवश अपनी जान से हाथ धो बैठे और इस प्रकार इस प्रक्रिया में उन्होंने उच्चतम बलिदान दिया ।

23. श्री विजय कुमार दामले (मरणोपरांत)
बनयोता के पास,
थाना कोतवाली,
जिला—बांदा,
उत्तर प्रदेश ।

दिनांक 26 जनवरी, 1991 को श्री भोला प्रसाद साहू की दुकान में अचानक आग लग गई और उनकी लड़की दुकान के भीतर फंस गई । यह जानकर कि लड़की जलकर मर जाएगी, श्री विजय कुमार दामले तुरन्त दुकान में घुस गए और लड़की को सुरक्षित बाहर ले आए। इस प्रक्रिया में वे गंभीर रूप से जल गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई ।

श्री विजय कुमार दामले ने आग से जान बचाने में उत्कृष्ट साहस और तत्परता का परिचय दिया परन्तु दुर्भाग्यवश इस प्रक्रिया में अपनी जान गवां दी ।

24. श्री बचन सिंह जायरा,
सफाई एवं खाद्य निरीक्षक,
नगर पालिका, हरिद्वार,
उत्तर प्रदेश ।

दिनांक 21 मार्च, 1991 को, सार्वजनिक सीवर की सफाई करते समय, सफाई कर्मचारी श्री हरीश चन्द्र जहरीली गैस की चपेट में आ गए । उसकी जान बचाने के लिए दो सफाई कर्मचारी श्री सकटू और श्री कांती सीवर के मेन होल में घुसे परन्तु गैस के प्रभाव के कारण दोनों बेहोश हो गए । यह देखकर श्री बचन सिंह जायरा, सफाई एवं खाद्य निरीक्षक यह जानते हुए भी कि मेन होल में जहरीली गैस भरी है, उनकी सहायता के लिए दौड़े । वह मेन होल में घुस गए परन्तु जैसे ही वे कांती को एक रस्सी से बांध पाए, वे स्वयं भी बेहोश हो गए। श्री जायरा और श्री कांती को रास्ते से गुजरते हुए श्री वीरभान उपाध्याय ने रस्सी की सहायता से मेन होल के बाहर निकाला और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया । तथापि, दो सफाई कर्मचारी श्री हरीश चन्द्र और श्री सकटू की मौके पर ही मृत्यु हो गई । इस प्रकार श्री जायरा की तुरन्त कार्रवाई के कारण श्री कांती की जान बचाई जा सकी ।

श्री बचन सिंह जायरा ने अपनी जान के प्रति गम्भीर जोखिम की परवाह किए बिना एक सफाई कर्मचारी की जान बचाने में तत्परता, साहस और मानव जीवन के प्रति अनुराग का परिचय दिया ।

25. स० 0147/डी/44 कडेट,
रजत गुलाटी,
आई० एन० एस० मांडवी,
दक्षिणी नौसेना कमांड ।

8 सितम्बर, 1991 को कैडेट रजत गुलाटी आठ अन्य सहकर्मियों के साथ पंजिम के निकट असम्बल समुद्र तट पर पिकनिक के लिए गए थे । ग्रुप घुटनों तक की गहरे पानी में आगे बढ़ गया और वे वहां खेलने लगे । अचानक कैडेट गुलाटी ने मदद के लिए चीख पुकार सुनी और उन्होंने मुड़कर देखा तो पाया कि उनके चार सहकर्मी समुद्र की तरफ बहे चले जा रहे हैं । तैराकी न जानने के कारण वे बाहर निकलने के लिए जोरों से पानी में हाथ-पांव मार रहे थे । उनकी दुर्दशा देखकर कैडट गुलाटी उनके बचाव के लिए दौड़े । उस क्षेत्र में एक तेज समुद्रोन्मुखी प्रवाह था और समुद्र तल चट्टानी था। हालांकि पहले बचाव के प्रयास के बाद वे थक गए थे, तो भी कैडेट गुलाटी ने

विपदा में फंसे अपने साथियों को बचाने के लिए तीन और प्रयास किए ।

कैडेट गुलाटी ने बचाव का अपना भागीरथ प्रयास खत्म किया ही था कि उन्होंने एक मछुआरे को चिल्लाते हुए और एक ऐसे स्थान की ओर इशारा करते हुए पाया जहां एक अन्य कैडेट लापता हो गया था । यद्यपि वे बुरी तरह थक गए थे फिर भी उन्होंने पांचवे कैडेट की तलाश में पुन: समुद्र में डुबकी लगाई लेकिन उसे नहीं पा सके । कैडेट का शव अगले दिन समुद्र से बरामद हुआ ।

कैडेट गुलाटी ने अपनी जान के प्रति गम्भीर जोखिम की परवाह किए बिना अपने डूबते हुए साथियों को बचाने में अनुकरणीय साहस और जीवन के प्रति अनुराग का परिचय दिया ।

26. 2580938 लांस नायक चन्द्रन
आर्डनेन्स डिपो शकुर बस्ती
दिल्ली–110056 ।

3 मद्रास के लांसनायक चन्द्रन को इन्द्र धनुष अभ्यास के दौरान 14 सितम्बर 1990 के बाद से रुद्रप्रयाग में तैनात किया गया था । 18 सितम्बर 1990 को लगभग 2.30 बजे अपराह्न कुछ नागरिकों ने सूचना दी कि गढ़वाल मोटर संगठन यूनिट की ऋषिकेश से बद्रीनाथ जा रही एक सिविर बस जिसमें 54 यात्री सवार थे रुद्रप्रयाग से पांच किलोमीटर दूर मुख्य सड़क के पास ही 350 मीटर गहरी खाई में गिर गई थी । लान्स नायक चन्द्रन अपने साथियों के साथ दुर्घटनास्थल की ओर दौड़े । वहां उन्होंने देखा कि कुछ सिविलियन मरे पड़े थे और कुछ दुर्घटनास्थल से बच निकलने की कोशिश कर रहे थे । तब तक कोई बचाव कार्य शुरू नहीं हुआ था । लासनायक चन्द्रन 3 मद्रास और 5 सिख के एक बचाव दल सहित बंधी हुई रस्सियों के सहारे सीधी ढलान वाली गहरी घाटी में उतर गए । उन्होंने पाया कि लगभग 29 यात्री पहले ही दम तोड़ चुके थे और बाकी बहुत बुरी तरह घायल पड़े थे । लांसनायक चन्द्रन ने एक सिविलियन को अपनी पीठ से बांध लिया और उसे रस्सी के सहारे अपने साथ ऊपर खींच लाए । यह प्रक्रिया थकाने वाली और बोझिल थी । तथापि दृढ़ निश्चिय के साथ वे 300 मीटर की खड़ी चढ़ाई में उसे खींच लाए । सिविलियन को बाद में रुद्रप्रयाग स्थित सिविल अस्पताल में ले जाया गया जहां चिकित्सा उपचार के बाद वह बच गया । यह प्रक्रिया तब तक चलती रही जब तक कि सभी 25 घायल यात्रियों को वहां से निकाल नहीं लिया गया ।

27. जी 082165–एच० पायनीयर मौजी राम
1605पी०एन०आर० कम्पनी
(सी०आर०ई०एफ०)
मार्फत 99 ए०पी०ओ०

14 मार्च, 1992 को एक एल०पी०टी० जिसमें 18 कार्मिक सवार थे लिकबाली से अलांग जाते हुए 15 कि मी की दूरी पर चार सौ मीटर गहरी घाटी में गिर गई । दुर्घटना-ग्रस्त वाहन और कार्मिकों का पता नहीं लगाया जा सका क्योंकि जिस स्थान पर दुर्घटना घटी थी वह स्थान किसी तरह के बचाव कार्य करने के लिए बहुत ही खतरनाक था और इसमें बहुत बड़ा जोखिम था । इसके अलावा ढलान इतना गहरा और तेज था कि कुछ भी दिखाई नहीं देता था । दुर्घटना का समाचार सुनने पर पाइनीयर मौजी राम दुर्घटना स्थल की ओर चल पड़े । शीघ्र ही 101074 फील्ड वर्कशाप के आफिसर कमांडिंग मेजर बी०एस० सिद्धू स्थल पर पहुंचे और उन्होंने अत्यंत जोखिम भरे बचाव कार्य करने का निर्णय लिया । मेजर सिद्धू और मोटर ड्राईवर अलताफ हुसैन दुर्घटनाग्रस्त वाहन तक पहुंचने के लिए रस्सियों की मदद से घाटी में नीचे उतरते जा रहे थे । पाइनीयर मौजी राम जल्दी ही बचाव दल में शामिल हो गए । वे सब रस्सियों की मदद से नीचे चले जा रहे थे । उतरना इतना आसान काम नहीं था क्योंकि गिरते हुए पत्थर बचाव दल के ऊपर उनके रास्ते में गिर रहे थे । पाइनीयर मौजी राम अन्य लोगो के साथ बड़े धैर्य और दृढ़ विश्वास के साथ दुर्घटनास्थल वाहन तक पहुंचे । बचाव दल ने 14 घायल कार्मिकों और चार शवों को अपनी पीठ पर लाद कर रस्सियों से चढ़कर बाहर निकालने में सफल हुए । इस कारवाई में पाइनीयर मौजी राम गिरते हुए पत्थरों से बहुत बुरी तरह घायल हो गए। अन्यों को भी मामूली चोटें आई ।

पाइनीयर मौजी राम ने अपने प्राणों के लिए गंभिर खतरे की परवाह न करते हुए दुर्घटना के शिकार असहाय व्यक्तियों का जीवन बचाने में अनुकरणीय साहस और अनोखी कर्तव्य निष्ठा का परिचय दिया ।

28. 9084410 लांस नायक भारत भूषण
11 जम्मू व कश्मीर लाइट इन्फैन्ट्री
मार्फत 56 ए०पी०ओ० ।

5 अप्रैल 1991 को 26 यात्रियों और पांच गाय-बैल ले जा रही एक वोट रावी नदी के बीच में उलट गई और सभी पीड़ित व्यक्ति अपने प्राणों के लिए संघर्ष कर रहे थे और डूब रहे थे । नदी के किनारे पर फैरी क्रासिंग स्थल पर तैनात 11 जम्मू व कश्मीर लाइट इन्फैन्ट्री की "डी" कम्पनी के संतरी ने इस दुर्घटना को देखा और शोर मचा दिया । कम्पनी द्वारा तत्काल ही दो बचाव दल बनाए गए । लांस नायक भारत भूषण एक बचाव दल में शामिल हो गए और डूबते हुए असहाय व्यक्तियों की मदद के लिए दौड़ पड़े । उन्होंने डूबने से कई व्यक्तियों को बचाया । असहाय व्यक्तियों को सफलतापूर्वक बचाने के पश्चात उसने उनका प्राथमिक उपचार भी किया ।

लांस नायक भारत भूषण ने अपने जीवन के प्रति गंभीर खतरे की परवाह न करते हुए डूबने से कई व्यक्तियों के प्राणों को बचाने में उत्कृष्ट साहस और तत्परता का परिचय दिया ।

गिरीश प्रधान
निदेशक

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नियम

नई दिल्ली, दिनांक 27 मार्च 1993

संख्या 9/2/93-के० से०-II—कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 1993 में केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा, रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा, पर्यटन विभाग (मुख्यालय स्थापना), केन्द्रीय सतर्कता आयोग तथा भारत निर्वाचन आयोग के सचिवालय के उच्च श्रेणी ग्रेड को चयन सूचियों में सम्मिलित करने के लिए एक सीमित विभागीय प्रतियोगितात्मक परीक्षा के लिए नियम सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किए जाते हैं ।

2. चयन सूची में शामिल करने के लिए चयन किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या आयोग द्वारा जारी की जाने वाली विज्ञप्ति में विशिष्टीकृत की जाएगी । अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण मांगकर्ता संवर्ग/कार्यालयों द्वारा आयोग को भेजी गई रिक्ति को ध्यान में रखकर किया जाएगा ।

अनुसूचित जाति/जनजाति का अभिप्राय उस किसी भी जाति से है जो निम्नलिखित में उल्लिखित है :-

1. संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 ।
2. संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 ।
3. संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951 ।
4. संविधान अनुसूचित जनजाति (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951 ।
5. संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956 ।
6. संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959 ।
7. संविधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962 ।
8. संविधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962 ।
9. संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964 ।
10. संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1967 ।
11. संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968 ।
12. संविधान (गोवा, दमन और द्वीव) अनुसूचित जनजाति, आदेश, 1968 ।
13. संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970 ।
14. संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978 ।
15. संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978 ।
16. संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989; तथा समय-समय पर संशोधित आदेश ।

2क. शारीरिक रूप से विकलांग तथा (मूक एवं बधिर) उम्मीदवार के लिए आरक्षण किये जायेंगे ।

3. कर्मचारी चयन आयोग द्वारा इस परीक्षा का कार्य संचालन इन नियमों के परिशिष्ट में विहित विधि से किया जाएगा ।

किस तारीख को और किन-किन स्थानों पर परीक्षा ली जाएगी, इसका निर्धारण आयोग करेगा ।

4. केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा अथवा रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा अथवा पर्यटन विभाग (मुख्यालय स्थापना) अथवा केन्द्रीय सतर्कता आयोग अथवा भारत के निर्वाचन आयोग के अवर श्रेणी ग्रेड का ऐसा कोई स्थायी अथवा नियमित रूप से नियुक्त अस्थायी प्राधिकारी जो 1 अगस्त 1993 को निम्नलिखित शर्तें पूरी करता है, इस परिक्षा में बैठ सकेगा :—

(1) 1 अगस्त, 1993 को केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा अथवा रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा के अवर श्रेणी ग्रेड में अथवा पर्यटन विभाग (मुख्यालय स्थापना) अथवा केन्द्रीय सतर्कता आयोग के अवर श्रेणी लिपिक के पद पर उसकी पांच वर्ष से कम की अनुमोदित तथा लगातार सेवा अथवा भारत के निर्वाचन आयोग के सचिवालय में उसकी 3 वर्ष कम की अनुमोदित तथा लगातार सेवा नहीं होनी चाहिए ।

परन्तु यदि केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा अथवा रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा अथवा पर्यटन विभाग (मुख्यालय स्थापना) अथवा केन्द्रीय सतर्कता आयोग के अवर श्रेणी ग्रेड में उसकी नियुक्ति प्रतियोगितात्मक परीक्षा

जिसमें सीमित विभागीय प्रतियोगितात्मक परीक्षा के परिणाम निर्णायक तारीख कम से कम पांच वर्ष पहले घोषित हुए होने चाहिए तथा उसकी उस ग्रेड में कम से कम चार वर्ष की अनुमोदित और लगातार सेवा होनी चाहिए ।

परन्तु यदि भारत के निर्वाचन आयोग के सचिवालय के अवर श्रेणी लिपिक के पद पर उसकी नियुक्ति प्रतियोगितात्मक परीक्षा जिसमें सीमित विभागीय प्रतियोगितात्मक परीक्षा भी शामिल है, के परिणाम के आधार पर हुई हो, तो ऐसी परीक्षा के परिणाम निर्णायक तारीख से कम से कम 3 वर्ष पहले घोषित हुए होने चाहिए तथा उसकी उस ग्रेड में कम से कम 2 वर्ष की अनुमोदित और लगातार सेवा होनी चाहिए ।

टिप्पणी : (1) स्वीकृत तथा लगातार सेवा की 5 वर्ष की सीमा उस अवस्था में भी लागू होगी यदि किसी उम्मीदवार की कुल विचारणीय सेवा अंशतः केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा अथवा रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा अथवा पर्यटन विभाग (मुख्यालय स्थापना) अथवा केन्द्रीय सतर्कता आयोग में अवर श्रेणी लिपिक के रूप में और अंशतः उच्च श्रेणी लिपिक के रूप में की गई हो ।

टिप्पणी : (2) अनुमोदित तथा लगातार सेवा की 3 वर्ष की सीमा उस अवस्था में भी लागू होगी, यदि किसी उम्मीदवार की कुल विचारणीय सेवा अंशतः भारत के निर्वाचन आयोग के सचिवालय में अवर श्रेणी लिपिक के रूप में और अंशतः उच्च श्रेणी लिपिक के रूप में की गई हो ।

टिप्पणी : (3) केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा अथवा रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा अथवा भारत के निर्वाचन आयोग के सचिवालय अथवा पर्यटन विभाग (मुख्यालय स्थापना) अथवा केन्द्रीय सतर्कता आयोग का कोई स्थायी अथवा नियमित रूप से नियुक्त अस्थायी अवर श्रेणी लिपिक, जिसने 26 अक्तूबर, 1962 को जारी की गई आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तन काल में अर्थात् 26 अक्तूबर 1962 से 9 जनवरी, 1968 तक सशस्त्र सेना में सेवा की हो, सशस्त्र सेना से प्रत्यावर्तन पर सशस्त्र सेना में अपनी सेवा की अवधि (प्रशिक्षण की अवधि मिलाकर यदि कोई हो) निर्धारित न्यूनतम सेवा में गिन सकेगा, अथवा

टिप्पणी : (1) ऐसे अवर श्रेणी लिपिक जो सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से निसंवर्गीय पदों पर प्रतिनियुक्ति हो उन्हें, अन्यथा पात्र होने पर इस परीक्षा में भाग लेने का पात्र समझा जाएगा । तथा यह बात उन अवर श्रेणी लिपिकों पर लागू नहीं होती जो स्थानांतरित रूप में निःसवर्गीय पदों पर या अन्य सेवा में नियुक्त किए गए हों, और केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा अथवा रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा अथवा भारत के निर्वाचन आयोग के सचिवालय अथवा पर्यटन विभाग (मुख्यालय स्थापना) अथवा केन्द्रीय सतर्कता आयोग के निम्न श्रेणी ग्रेड में ग्रहण अधिकार (लियन) न रखते हों ।

(2) आयु—

(क) यदि वह पैरा 1 में वर्णित किन्हीं भी सेवाओं में स्थायी अथवा नियमित रूप में नियुक्त अवर श्रेणी लिपिक है तो 1 अगस्त 1993 को उसकी आयु 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए अर्थात् उसका जन्म 2 अगस्त 1943 से पूर्व नहीं हुआ हो :

(ख) ऊपरलिखित ऊपरी आयु सीमा में निम्नलिखित और छूट होगी :

(1) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का हो तो अधिक से अधिक 5 वर्ष तक,

(2) किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा उपद्रव-ग्रस्त इलाकों में फौजी कार्यवाहियों को करते समय अशक्त हुए तथा उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त रक्षा सेवा कार्मिकों के मामले में अधिकतम 3 वर्ष तक,

(3) किसी दूसरे देश के संघर्ष के दौरान अथवा उपद्रवग्रस्त इलाकों में फौजी कार्यवाहियां करते समय अशक्त हुए तथा उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों से संबंधित रक्षा सेवा कार्मिकों के मामलों में अधिकतम 8 वर्ष तक,

(4) 1971 में हुए भारत पाक संघर्ष के दौरान फौजी कार्यवाहियों में विकलांग हुए तथा उसके फल-स्वरूप निर्मुक्त किए गए सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों के मामलों में अधिकतम 3 वर्ष तक,

(5) 1971 में हुए भारत पाक संघर्ष के दौरान फौजी कार्यवाहियों में विकलांग हुए तथा उसके फलस्वरूप निर्मुक्त किए गए सीमा सुरक्षा बल के ऐसे कार्मिकों के मामले में अधिकतम 8 वर्ष तक, जो अनुसूचित जातियों या अनूसूचित आदिम जातियों के हों,

(3) टंकण परीक्षा :—यदि किसी उम्मीदवार को अवर श्रेणी ग्रेड में स्थायीकरण के उद्देश्य से संघ लोक सेवा आयोग/सचिवालय प्रशिक्षणशाला/सचिवालय प्रशिक्षण तथा

प्रबन्ध संस्थान परीक्षा स्कन्ध) अधीनस्थ सेवा कर्मचारी चयन आयोग की मासिक/तिमाही टाईप की परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट न मिली हो तो इस परीक्षा की अधिसूचना की तारीख को या इससे पहले वह टाईप की परीक्षा में उत्तीर्ण कर लेनी चाहिए ।

5. परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के बारे में इस आयोग का निर्णय अंतिम होगा ।

6. किसी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक नहीं बैठने दिया जाएगा जब तक कि उसके पास आयोग का प्रवेश पत्र (सर्टिफिकेट आफ एडमिशन) न हो ।

7. यदि किसी उम्मीदवार को आयोग द्वारा निम्नलिखित बातों के लिए दोषी घोषित कर दिया जाता है या कर दिया गया हो कि उसने :—

(1) किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया है, अथवा

(2) नाम बदल कर परीक्षा दी है, अथवा

(3) किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप से कार्य कराया है, अथवा

(4) जाली प्रमाण पत्र या ऐसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये हैं, जिसमें तथ्यों को बिगाड़ा गया हो, अथवा

(5) गलत या झूठे वक्तव्य दिये हैं, या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा

(6) परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लिया है, अथवा

(7) परीक्षा भवन में अनुचित तरीके अपनाये हैं, अथवा

(8) परीक्षा भवन में अनुचित आचरण किया है, अथवा

(9) असंगत सामग्री लिखना जिसमें पाण्डुलिपि में अश्लील भाषा या अश्लील सामग्री भी शामिल हैं, या

(10) परीक्षा संचालन के दौरान परीक्षा भवन से प्रश्न पुस्तिका/उत्तर पत्रक ले गया हो या इसे किसी अनाधिकृत व्यक्ति को दिया हो ।

(11) आयोग द्वारा परीक्षा के संचालन के लिए नियुक्त स्टाफ को तंग किया है, अथवा शारीरिक चोट पहुंचाई है, अथवा

(12) अपने प्रवेश पत्र के साथ जारी किए गए किसी अनुदेश का उल्लंघन किया है, अथवा
उपर्युक्त खंडों में उल्लिखित सभी अथवा किसी कार्य द्वारा

(13) आयोग को अवप्रेरित करने का प्रयत्न किया है, तो उस पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रोसीक्यूशन) चलाया जा सकता है, और उसके साथ ही उसे :—

(क) आयोग द्वारा इस परीक्षा, जिसका कि वह उम्मीदवार है, के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है, अथवा

(ख) उसे अस्थाई रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए:—

(1) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए,

(2) केन्द्रीय सरकार द्वारा उसे उसके अधीन किसी भी नौकरी से वारित किया जा सकता है, और

(3) उसके विरुद्ध उपर्युक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है ।

8. यदि कोई उम्मीदवार किसी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त करने में कोई कोशिश करेगा या आयोग द्वारा उसका आचरण ऐसा समझा जायेगा जिसमें उसे परीक्षा में बैठने के लिए अयोग्य करार दिया जाएगा ।

9. आयोग परीक्षा के बाद हरेक उम्मीदवार को अंतिम रूप से दिए गए कुल अंकों के आधार पर उनकी योग्यता के क्रम से उनके नामों की पांच अलग-अलग सूचियां तैयार करेगा और उसी क्रम से उतने ही उम्मीदवारों के नाम अपेक्षित संख्या तक उच्च श्रेणी ग्रेड की प्रवर सूची में शामिल करने की सिफारिश करेगा जो आयोग के निर्णय अनुसार परीक्षा द्वारा योग्य माने गए हों ।

परन्तु यदि किसी अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के उम्मीदवार सामान्य स्तर के आधार पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए आरक्षित रिक्त स्थानों तक नहीं भरे जा सकते आरक्षित कोटा में कमी को पूरा करने के लिए स्तर में छूट देकर परीक्षा में योग्यता क्रम में उनके रैंक का ध्यान किए बिना, यदि वे योग्य हुए तो आयोग द्वारा सिफारिश की जा सकेगी ।

टिप्पणी :—उम्मीदवारों को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि यह प्रतियोगिता परीक्षा है न कि अर्हक परीक्षा (क्वालिफाईंग एग्जामिनेशन) इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर उच्च श्रेणी ग्रेड की प्रवर सूची में कितने उम्मीदवारों के नाम शामिल किए जाएं, उनका निर्णय करने के लिए सरकार पूरी तरह सक्षम है । इसलिए कोई भी उम्मीदवार अधिकार के तौर पर इस बात पर कोई दावा नहीं कर सकेगा कि उसके द्वारा परीक्षा में दिए गए उत्तर के आधार पर उसका नाम प्रवर सूची में शामिल किया जाए ।

10. हर उम्मीदवार को परीक्षाफल की सूचना किस रूप में तथा किस प्रकार दी जाए इसका निर्णय आयोग अपने विवेकानुसार करेगा और आयोग परिणामों के बारे में कोई पत्र व्यवहार नहीं करेगा ।

11. परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाने से चयन का अधिकार तब तक नहीं मिलता जब तक कि संवर्ग प्राधिकारी आवश्यक जांच के बाद संतुष्ट न हो जाये कि सेवा में उसके आचरण

को रेखते हुए उम्मीदवार हर प्रकार के चयन के लिए उपयुक्त है ।

किन्तु इस सम्बन्ध में निर्णय कि क्या आयोग द्वारा चयन के लिए सिफारिश किया गया कोई विशेष उम्मीदवार उपयुक्त नहीं है, कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के परामर्श से किया जाएगा ।

12. जो उम्मीदवार परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन पत्र देने के बाद या परीक्षा में बैठ जाने के बाद केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा/रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा/निर्वाचन आयोग/पर्यटन विभाग/केन्द्रीय सतर्कता आयोग के अपने पद से त्याग पत्र दे देगा अथवा अन्य किसी प्रकार से उस सेवा को छोड़ देगा या उससे अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लेगा या जिसकी सेवा उसके विभाग द्वारा समाप्त कर दी हो या किसी नि:संवर्गीय पद या दूसरी सेवा में स्थानांतरण द्वारा नियुक्त किया जा चुका है और केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा/रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा/निर्वाचन आयोग/पर्यटन विभाग/केन्द्रीय सतर्कता आयोग के निम्न श्रेणी ग्रेड में ग्रहण अधिकार न रखता हो, वह इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ।

तथापि यह उस अवर श्रेणी लिपिक पर लागू नहीं होगा जो सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से किसी संवर्गीय पद पर प्रतिनियुक्त किया जा चुका है ।

करतार सिंह,
अवर सचिव (के०से०-II)

परिशिष्ट

परीक्षा निम्नलिखित योजना के अनुसार होगी :

भाग —1 नीचे परिच्छेद में बताये गए विषयों की कुल 300 अंकों की लिखित परीक्षा ।

भाग —2 आयोग द्वारा विवेकानुसार ऐसे उम्मीदवारों के सेवा वृतों (रिकार्ड आफ सर्विस) का मूल्यांकन जो लिखित परीक्षा में ऐसा न्यूनतम स्तर प्राप्त करते हैं जिसके बारे में आयोग फैसला करेगा और उसके लिए अधिकतम अंक 100 होंगे ।

2. भाग 1 में बताई गई लिखित परीक्षा के विषय प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए अधिकतम अंक तथा दिया जाने वाला समय इस प्रकार होगा ।

विषय	अधिकतम अंक	समय
प्रश्न पत्र I (वस्तुनिष्ठ प्रकार) (क) सामान्य ज्ञान 100 प्रश्न (ख) अंग्रेजी भाषा का परिज्ञान तथा लेखन योग्यता 100 प्रश्न	200 अंक	2
प्रश्न पत्र II टिप्पण आलेखन तथा कार्यालय पद्धति	: 100 अंक	2 घंटे

प्रश्न पत्र I वस्तुनिष्ठ बहुविकल्प प्रकार का होगा जबकि प्रश्न पत्र II वर्णात्मक प्रकार का होगा ।

टिप्पणी : — निम्नलिखित तीनों श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए टिप्पण, प्रारुप लेखन तथा कार्यालय पद्धति के प्रश्न पत्र अलग-अलग होंगे ।

(1) केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा, पर्यटन विभाग तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग ।

(2) रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा और

(3) निर्वाचन आयोग ।

3. परीक्षा का पाठ्य-विवरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार होगा ।

टिप्पणी : 1—उम्मीदवारों को प्रश्न पत्र II टिप्पण आलेखन तथा कार्यालय पद्धति के उत्तर हिन्दी या अंग्रेजी में देने का विकल्प दिया जाता है ।

टिप्पणी : 2—यह विकल्प पूरे प्रश्न पत्र के लिए होगा न कि एक ही प्रश्न पत्र में अलग-अलग प्रश्नों के लिए ।

टिप्पणी : 3—जो उम्मीदवार उपरोक्त प्रश्न पत्र के उत्तर अंग्रेजी में अथवा हिन्दी (देवनागरी) में लिखना चाहता है उन्हें यह बात आवेदन पत्र के कालम 6 में स्पष्ट रूप से लिख देनी चाहिए अथवा यह समझा जाएगा कि वे प्रश्न-पत्र के उत्तर अंग्रेजी में लिखेंगे ।

टिप्पणी : 4—एक बार दिया गया विकल्प अंतिम माना जाएगा और आवेदन पत्र के कालम 6 में परिवर्तन करने से सम्बन्धित कोई अनुरोध साधारणतया स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

टिप्पणी : 5—प्रश्न पत्र हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों में दिए जाएंगे ।

टिप्पणी : 60—उम्मीदवारों द्वारा अपनाई गई (आप्ट की गई) भाषा को छोड़कर अन्य किसी भाषा में लिखे प्रश्न पत्र I के उत्तर को कोई महत्व नहीं दिया जाएगा ।

4. उम्मीदवारों को सभी उत्तर अपने हाथ से लिखने होंगे । किसी भी हालत में उन्हें उत्तर लिखने के लिए अन्य व्यक्ति की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

5. आयोग अपने विवेक से परीक्षा के किसी एक या सभी विषयों के अर्हक अंक (क्वालिफाईंग नम्बर) निर्धारित कर सकता है ।

6. केवल कोरे सतही ज्ञान के लिए अंक नहीं दिए जाएंगे ।

7. खराब लिखावट के कारण लिखित विषयों के अधिकतम अंकों के 5 प्रतिशत तक अंक काट दिए जायेंगे ।

8. परीक्षा के सभी विषयों में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि भावाभिव्यक्ति कम से कम शब्दों में क्रमबद्ध तथा प्रभावपूर्ण ढंग से ठीक-ठाक की गई है ।

अनुसूची

परीक्षा का पाठ्यक्रम विवरण

प्रश्न पत्र I (क) सामान्य जानकारी :—प्रश्न उम्मीदवारों के आस-पास के पर्यावरण के प्रति उसकी सामान्य जानकारी तथा समाज के प्रति उनके अनु-प्रयोग के संबंध में उम्मीदवार की योग्यता की जांच करने के लिए पूछे जायेंगे । सामयिक घटनाओं और दिन प्रतिदिन पर्यवेक्षण के ऐसे मामलों और उनके वैज्ञानिक पहलुओं के सम्बन्ध में भी ज्ञान की जांच करने के लिए प्रश्न पूछे जायेंगे, जिनकी जानकारी की अपेक्षा एक शिक्षित व्यक्ति से की जाती है । इस परीक्षा में भारत और उसके पड़ौसी देशों के सम्बन्ध में विशेषकर इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक दृश्य, सामान्य राज्य व्यवस्था तथा वैज्ञानिक अनुसंधान से सम्बन्धित प्रश्न भी पूछे जायेंगे ।

(ख) अंग्रेजी भाषा का परिज्ञान तथा लेखन योग्यता :—इस परीक्षा में अंग्रेजी भाषा, शब्दावली बर्तनी व्याकरण वाक्य संरचना, समानार्थक शब्द विपरीतार्थक शब्द, वाक्य पूरा करना, वाक्यांश तथा शब्दों के मुहावरेदार प्रयोग इत्यादि के सम्बन्ध में उम्मीदवार के विवेक तथा ज्ञान को आंकने के लिए प्रश्न पत्र तैयार किए जायेंगे इसमें अनुच्छेद परिज्ञान पर भी प्रश्न होंगे ।

प्रश्न पत्र II—टिप्पणी व आलेख तथा कार्यालय पद्धति :—इस प्रश्न-पत्र का प्रयोजन सचिवालय तथा सम्बद्ध कार्यालयों में कार्यालय पद्धति के बारे में उम्मीदवारों का ज्ञान और सामान्यत: टिप्पण व आलेखन लिखने तथा समझने में उम्मीदवारों की योग्यता जानना है ।

केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा पर्यटन विभाग तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग के उम्मीदवारों को चाहिए कि इसके लिए कार्यालय पद्धति की नियम पुस्तक (मैनुअल आफ आफिस प्रोसीजर)—सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान द्वारा जारी की गई कार्यालय पद्धति पर टिप्पणियां रुल्स आफ प्रोसीजर एण्ड कण्डक्ट आफ बिजिनेस इन लोक सभा एण्ड राज्य सभा तथा संघ के शासकीय प्रयोजन के लिए प्रयोग से सम्बन्धित गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई आदेश पुस्तिका पढ़ें ।

रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा के उम्मीदवारों को चाहिए कि वे रेलवे बोर्ड द्वारा जारी की गई कार्यालय पद्धति संहिता और लोक सभा और राज्य सभा में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियमों और संघ शासकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रयोग से सम्बन्धित गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आदेशों को हस्त पुस्तिका और इन प्रयोजन के लिए राजभाषा के प्रयोग से सम्बन्धित भारतीय रेलवे के आदेशों के संकलन का अध्ययन करें ।

भारत के निर्वाचन आयोग के उम्मीदवारों को चाहिए कि वे कार्यालय पद्धति को नियम (मैनुअल आफ आफिस प्रासीजर) सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंध संस्थान द्वारा जारी की गई कार्यालय पद्धति पर टिप्पणियां तथा संघ के शासकीय प्रयोजन के लिए हिन्दी के प्रयोग से संबद्ध गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई आदेश पुस्तिका पढ़ें ।

इलैक्ट्रॉनिकी विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 22 फरवरी 1993

संकल्प

सं० 17(38)/कम्प्यूटर/93—1.0 भारत सरकार के इलैक्ट्रॉनिकी विभाग ने दिनांक 27 दिसम्बर, 1986 की राजपत्र अधिसूचना भाग—1, खण्ड—1 में प्रकाशित संकल्प सं० 17(38)/कम्प्यूटर/84 (खण्ड) दिनांक दिसम्बर, 18, 1986 के माध्यम से कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के विकास एवं प्रशिक्षण सम्बन्धी नीति की घोषणा की । इस नीति के पांच उद्देश्यों में से एक इस प्रकार था ।

"सॉफ्टवेयर के अन्तर्राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर व्यापार के बड़े भाग पर अधिकार प्राप्त करने एवं तीव्र गति से प्रगति करने के लिए निर्यात को बढ़ावा देना" ।

1.1 इस उद्देश्य की प्राप्ति के दृष्टिकोण से इलैक्ट्रॉनिकी विभाग ने "सॉफ्टवेयर एवं सॉफ्टवेयर सेवाओं के विकास एवं निर्यात को बढ़ावा देने तथा सॉफ्टवेयर के विकास एवं निर्यात करने वाले उद्यमियों के उपयोग के लिए आंकड़े, संचार इत्यादि सुविधायें तथा ऐसी ही अन्य संरचनात्मक सुविधायें जुटाने के लिए देश में भिन्न-भिन्न स्थानों से सॉफ्टवेयर टैक्नोलौजी पार्क्स स्थापित करने का" निर्णय लिया ।

1.2 इलैक्ट्रॉनिकी विभाग ने इस निर्णय के प्रतिपालन में बंगलौर, भुवनेश्वर, गांधीनगर, हैदराबाद, नोयडा, पुणे एवं तिरुवनन्तपुरम में साफ्टवेयर तकनीकी पार्क्स स्थापित किये तथा राज्य सरकारों ने कलकत्ता एवं जयपुर में भी ऐसे ही पार्क्स स्थापित किये । सॉफ्टवेयर के निर्यात को बढ़ावा देने के इस प्रारम्भ का जिसे सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क योजना कहते हैं, संकल्प के निम्नलिखित पैराओं में विस्तृत उल्लेख किया जा रहा है ।

2. साफ्टवेयार तकनीकी पार्क योजना :

2.1 साफ्टवेयर तकनीकी पार्क योजना के आंकड़े संचार तंत्र के उपयोग से साफ्टवेयर के निर्यात हेतु अथवा व्यावसायिक सेवाओं के निर्यात सहित भौतिक निर्यात के रूप में विकास करने की शत-प्रतिशत निर्यात लक्षी योजना है ।

2.2 सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क केन्द्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा अथवा सम्मिलित रूप से स्थापित किया जा सकता है । यह एकल इकाई के रूप में अथवा इलैक्ट्रॉनिकी विभाग द्वारा एस० टी० पी० परिसर (S. T, P, Complex) नामित परिसर में स्थित इकाई के रूप में स्थापित किया जा सकता है ।

2.3 इस योजना का संचालन भारत सरकार का इलैक्ट्रॉनिकी विभाग प्रत्येक सॉफ्टवेयर पार्क के निदेशकों के माध्यम से करता है, जो भारत सरकार के इलैक्ट्रॉनिकी विभाग द्वारा स्थापित और सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन पंजीकृत सॉफ्टवेयर टैक्नोलौजी पार्क्स आफ इण्डिया (एस० टी० पी० आई०) नामक सोसाइटी के अंग हैं । सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क इकाई स्थापित करने हेतु प्रार्थना-पत्र निर्धारित प्रारूप में प्रस्तावित सॉफ्टवेयर परियोजना के विस्तृत ब्यौरे सहित सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क के प्रमुख कार्यकारी को प्रेषित करना होता है। प्रार्थना-पत्र पर एक अन्तमंन्त्रालय स्थायी समिति (आई० एम० एस० सी०) द्वारा विचार किया जाता है । यह समिति सचिव, इलैक्ट्रॉनिकी विभाग, भारत सरकार के प्रधानत्व में गठित की गई है । इसकी अधिसूचना दिनांक 13 अगस्त, 1991 की राजपत्रित अधिसूचना क्रमांक 294 के अन्तर्गत प्रचालित की गई थी जो कि भारत के असामान्य राजपत्र के भाग-II के खण्ड–3 के उप खण्ड–II में प्रकाशित की गई थी ।

2.4 कोई भी एस० टी० पी० इकाई पूंजीगत सामान सहित सभी प्रकार के सामान का कर रहित आयात कर सकती है । आयात कर की यह छूट उस सामान पर भी लागू होगी जो एस० टी० पी० परिसर में सॉफ्टवेयर विकास इकाईयों के उपयोग हेतु केन्द्रीय सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से आयात किया जायेगा । एस०टी०पी० इकाईयों को उस पूंजीगत सामान पर भी यह छूट उपलब्ध होगी जो वे किसी विशिष्ट परियोजना के निष्पादन के लिए अपने किसी ग्राहक से निर्दिष्ट अवधि के लिए ऋण स्वरूप लेगी ।

2.5 प्रत्येक एस० टी० पी० 1962 के कर अधिनियम की धारा 25 के अन्तर्गत आयात-कर मुक्त प्रतिबन्धित क्षेत्र होगा । आयात कर से छूट 22 अक्तूबर, 1991 को कर अधिसूचना सं० 138, 139, 140 और 141 सीमाकर/91 और उसमें समय-समय पर किये गये संशोधनों के अनुसार लागू होगी ।

2.6 स्वदेशी दर क्षेत्र : में विक्रय किये गये सॉफ्टवेयर के अतिरिक्त एस० टी० पी० द्वारा विकसित सभी सॉफ्टवेयर निर्यात किया जायेगा । एस० टी० पी० इकाई द्वारा निर्यातित सॉफ्टवेयर के कुल मूल्य के केवल 25 प्रतिशत के बराबर सॉफ्टवेयर को डी० टी० ए० में विक्रय की अनुमति होगी ।

2.7 निम्नलिखित आपूर्तियों की एस० टी० पी० इकाई के निर्यात दायित्व की पूर्ति हेतु गणना की जायेगी ।

2.7.1 डी० टी० ए० के अन्तर्गत सार्वभौम निविदा के माध्यम से आपूर्ति ।

2.7.2 डी० टी० ए० के अन्तर्गत विदेशी मुद्रा में भुगतान के माध्यम से आपूर्ति ।

2.7.3 अग्रिम लाईसेन्स एवं अन्य आयात लाइसेंस के आधार पर आपूर्ति ।

2.7.4 एस० टी० पी० के मुख्य कार्यकारी की अनुमति से अन्य एस० टी० पी० इकाईयों को की गई आपूर्ति ।

2.8. एस० टी० पी० इकाईयों को निम्नलिखित प्रकारों से लाभान्वित किये जाने की पात्र होंगी । 2.8.1 कर अवकाश एस० टी० पी० को अपने आरम्भ के प्रथम आठ वर्षों में से पांच वर्ष की एकल अवधि के लिए सामूहिक आयकर न देने की छूट दी जायेगी ।

2.8.2 शुद्ध विदेशी मुद्रा का संयोजन (Clubbing of Net Foreign Exchange) (FE) : एस० टी० पी० इकाई द्वारा अर्जित शुद्ध विदेशी मुद्रा को डी० टी० ए० में उनकी जनक/संयुक्त कम्पनी द्वारा अर्जित शुद्ध विदेशी मुद्रा में जोड़कर उस जनक/संयुक्त कम्पनी को निर्यात-गृह/व्यापार गृह/स्टार व्यापार गृह स्तर का प्रदान किया जा सकता है। इस उपलक्ष में शुद्ध विदेशी मुद्रा की गणना आयात-निर्यात नीति (1992–97) के अध्याय XII के पैरा 138 में दिये गये सूत्र के अनुसार की जायेगी ।

2.8.3 विदेशी मुद्रा एस० डी० (एम० ए० शृंखला) के दिनांक 29 फरवरी, 1992 के परिपत्र सं० 11 से संलग्न ज्ञापन के परा 2 के अनुसार जिसमें निर्दिष्ट नियम के अन्तर्गत चालू खाते में

प्राप्त सारी विदेशी मुद्रा को सरकारी दर व बाजार दर से 40 : 60 के अनुपात में अधिकृत व्यापारियों को समर्पित करना होता है, यह निर्णय किया गया है कि अन्तर्मन्त्रालय स्थायी समिति द्वारा अनुमोदित शत-प्रतिशत निर्यात लक्ष योजना के अन्तर्गत साफ्टवेयर तकनीकी पार्क परिसर में स्थापित सभी निर्यात विकास इकाईयों द्वारा 1 जुलाई, 1992 को अथवा उसके पश्चात विदेशी मुद्रा में प्राप्त सभी निर्यात आय की, चाहे वह निर्यात भौतिक रूप से या आंकड़े संसार तन्त्र के माध्यम से किया गया हो, बाजार दर से परिवर्तित करने की अनुमति होगी। निर्यात से प्राप्त सारी धनराशि को परिवर्तित करने की अनुमति देते समय, अधिकृत व्यापारियों को या सुनिश्चित कर लेना आवश्यक है कि वह निर्यात इकाई सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क परिसर में शत-प्रतिशत निर्यात योजना के अन्तर्गत स्थापित की गई है तथा निर्यात को यथोचित जी० आर० फार्म या सॉफ्टटेक्स फार्म में भर कर घोषित किया गया था ।

2.8.4 शत-प्रतिशत विदेशी समन्याय एस० टी० पी० इकाईयों में 100 प्रतिशत तक विदेशी समन्वय किया जा सकता है ।

2.9 डी० टी० ए० द्वारा किसी एस० टी० पी० इकाई को की जाने वाली आपूर्ति को निर्यात समान माना जायगा और उसे आयात-निर्यात नीति (1992—97) के पैरा 106 और 122 में निर्दिष्ट लाभ प्राप्य होंगे । ये लाभ केवल तभी दिये जा सकेंगे जब आपूर्ति इलैक्ट्रॉनिकी विभाग भारत सरकार द्वारा स्थापित एस० टी० पी० सोसाईटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्राधिकार पत्र के अधीन की गई हो ।

2.10 आयात निर्यात नीति (1992–97) के अध्याय IX के पैरा–111 से 117 के जो प्रावधान शत-प्रतिशत निर्यात इकाईयों (ई० ओ० यू०) तथा निर्यात प्रक्रिया क्षेत्रों (ई० पी० जैड०) में लागू होंगे उन्हें निम्नलिखित आवश्यक परिवर्तनों के साथ एस० टी० पी० इकाइयों के प्रति भी लागू माना जायेगा ।

2.10.1 'विकास आयुक्त' की बजाये सभी स्थानों पर 'एस० टी० पी० सोसाईटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी' पढ़ा जाये ।

2.10.2 'बी० ओ० ए० की बजाये सभी स्थानों पर 'आई० एम० एस० सी०' पढ़ा जाये ।

2.11 मूल्य में शुद्ध विदेशी मुद्रा की शर्त पर एस० टी० पी० इकाइयों की निर्यात देयता यू० एस० डालर मूल्य में इस प्रकार होगी :—

निर्यात-देयता = 1.5 × (आयातित हार्डवेयर का सी० आई० एफ० मूल्य) + 1.5 × मजदूरी बीजक ।

टिप्पणियां :—

(1) हार्डवेयर भाग संबंधी देयता चार वर्ष की अवधि में पूरी की जायेगी ।

(2) मजदूरी बीजक संबंधी देयता की पूर्ति वार्षिक आधार पर होगी । इस परिपेक्ष्य में शुद्ध विदेशी मुद्रा की निम्नलिखित परिभाषा होगी :—

"सॉफ्टवेयर के निर्यात से प्राप्त विदेशी मुद्रा की राशि में से हार्डवेयर तथा/अथवा साफ्टवेयर के आरम्भिक आयात होने वाले व्यय के अतिरिक्त विदेशी मुद्रा के बहिर्गमन की राशि घटा कर शेष राशि" ।

2.12 एस० टी० पी० की कम्पयूटर व्यवस्था के प्रशिक्षण के लिए उपयोग करने की अनुमति दी जायेगी किन्तु वह इस प्राविधान के साथ होगी कि इस परिप्रेक्ष में एस० टी० पी० के बाहर कोई कम्पयूटर यन्त्र नहीं लगाया जायेगा ।

3.0 यह योजना आयात निर्यात नीति (1992–97) के अध्याय IX में सम्मिलित की गई ई० ओ० यू०/ई० पी० जैड० योजना से भिन्न है । उस नीति के अध्याय IX के तत्वावधान में प्रत्येक ई० पी० जैड० अथवा ई० ओ० यू० में स्थापित साफ्टवेयर इकाई के प्रति उसी अध्याय में प्रावधान लागू होंगे ।

यह अधिसूचना सार्वजनिक हित में प्रचालित की जा रही है ।

आदेश

आदेश है कि उपर्युक्त संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये । यह भी आदेश है कि इस संकल्प की प्रति भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों को तथा अन्य सभी संबंधितों को प्रेषित की जाये ।

जी० गोपालास्वामी
संयुक्त सचिव

उद्योग मंत्रालय

(तकनीकी विकास महानिदेशालय)

नई दिल्ली, दिनांक 1993

संकल्प

संकल्प सं० पी० एल०/12(63)/90—दिनांक 4 दिसम्बर, 1991 तथा दिनांक 27 फरवरी, 1992 के क्रम में, भारत सरकार ने उपर्युक्त अधिसूचना में निम्न प्रकार से संशोधन करने का निर्णय किया है :—

के स्थान पर	पढ़ें
क्रम सं० 22 श्री शेष कुमार विकास अधिकारी स० वि० म० नि० नई दिल्ली ।	श्री ए० के० अग्रवाल सहायक विकास अधिकारी त० वि० म० नि० नई दिल्ली ।

ऊपर दर्शाई गई नामिका के अलावा, संकल्प का शेष संगठन दिनांक 4 दिसम्बर, 1991 वाला ही रहेगा। उपर्युक्त नामिका की वैद्यता 3 दिसम्बर, 1993 तक रहेगी।

आदेश

आदेश दिए जाते हैं कि संकल्प की प्रति सभी संबंधितों को संचालित की जाए। यह भी आदेश दिए जाते हैं कि संकल्प को सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में भी प्रकाशित किया जाए।

मदन मोहन
(निदेशक प्रशासन)

श्रम मंत्रालय

रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय

नई दिल्ली दिनांक 4 मार्च, 1993

संकल्प

सं० डी० जी०ई०टी०–19(21)/92–सी० डी०—श्रम मंत्रालय (रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय) न दिल्ली के संकल्प सं० टी० आर०/ई० पी०–24/56, दिनांक 2../24 अगस्त 1956 (30 सितम्बर, 1981 तक संशोधित) के आंशिक संशोधन में, अब के पश्चात् राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (पैरा 5 संशोधित किया जाता है) का गठन निम्न प्रकार होगा :—

5. परिषद का गठन :– परिषद का गठन भारत सरकार द्वारा किया जाएगा तथा इसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

(क) केन्द्रीय श्रम मंत्री/श्रम राज्य मंत्री/श्रम-उप मंत्री — अध्यक्ष

(ख) सचिव, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय।

(ग) रोज़गार एवं प्रशिक्षण महानिदेशक तथा निम्न में प्रत्येक का एक प्रतिनिधि :—

(i) भूतल परिवहन मंत्रालय

(ii) संचार मंत्रालय।

(iii) नागरिक विमानन मंत्रालय (इंडियन एयरलाइंस)

(iv) खान विभाग।

(v) विकास आयुक्त, लघु उद्योग।

(vi) औद्योगिक विकास विभाग।

(vii) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग।

(viii) रक्षा मंत्रालय (डी जी० आर०)

(ix) वित्तीय सलाहकार (श्रम)।

(x) मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग)

(xi) रेल मंत्रालय।

(xii) केन्द्रीय जल आयोग।

(xiii) योजना आयोग।

(xiv) ऊर्जा विभाग।

प्रतिनिधि, यथासंभव, तकनीकी अधिकारी होंगे।

(घ) प्रत्येक राज्य सरकार तथा संघ शासित प्रदेश एक-एक प्रतिनिधि (शिल्पकार प्रशिक्षण योजना से सम्बन्धित राज्य निदेशक)

(ङ) नियोजक संगठन के तीन प्रतिनिधि जिन्हें भारत सरकार द्वारा नामित किया जाएगा।

(च) कर्मकार संगठन के तीन प्रतिनिधि जिन्हें भारत सरकार द्वारा नामित किया जाएगा।

(छ) व्यावसायिक तथा शिक्षाविद् निकायों के तीन प्रतिनिधि जिन्हें भारत सरकार द्वारा नामित किया जाएगा।

(ज) अखिल भारत तकनीकी शिक्षा परियद् का एक प्रतिनिधि जिसे उस परिषद् द्वारा नामित किया जाएगा।

(झ) एक विशेषज्ञ जिसे भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

(ञ) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति का एक-एक प्रतिनिधि।

(ट) निदेशक रोजगार सेवा (रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय) श्रम मंत्रालय।

(ठ) निदेशक प्रशिक्षण (रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय) श्रम मंत्रालय— सदस्य सचिव

(ड) अखिल भारत महिला संगठन का एक प्रतिनिधि

(ढ) निदेशक शिक्षुता प्रशिक्षण, (रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय) श्रम मंत्रालय।

जगदीश जोशी,
रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशक
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 13th March 1993

No. 52-Pres/93.—The President is pleased to approve the award of 'Sarvottam Jeevan Raksha Padak' to the undermentioned persons :—

1. Shri Javed, (*Posthumous*)
H. No. 41/3 Aheerpura,
Jahangirabad,
Bhopal, M. P.

On 13th January, 1991 at 8.40 A.M. a gas cylinder burst in the house of Shri Moti Lal Jain and fire broke out. Shri Jain was away. His wife Smt. Vimla Bai and three children were caught inside the burning room. Smt. Vimla shouted for help. Her neighbour Shri Javed without caring for his own safety entered the burning room and safety brought Smt. Vimla Bai and her three children out of the room. In this rescue process, he himself got severely burnt (99% burns) and succumbed to the burn injuries on 18th January, 1991.

Shri Javed showed conspicuous courage and promptitude in saving the four lives from fire but unfortunately he lost his own life in the process.

2. Shri Bachan Singh Pokhrial,
Guard Keeper,
State Bank of India,
Uttarkashi, U. P.

In the night of 20th October, 1991 at about 2.55 A. M. the building of State Bank of India, Uttarkashi collapsed due to severe earthquake. Shri Bachan Singh, Gaurd Keeper, on seeing this shouted for help. He himself entered into the collapsing building without any loss of time and succeeded in bringing out three persons trapped under the debris. He was also instrumental in saving bank's cash amount of Rs. 12 crores.

Shri Bachan Singh thus showed conspicuous courage and determination in saving the lives of three persons as also bank's cash unmindful of the grave risk involved to his own life.

G. B. PRADHAN, Director

No. 53-Pres/93.—The President is pleased to approve the award of 'Uttam Jeevan Raksha Padak' to the undermentioned persons :—

1. Shri Independenta, (*Posthumous*)
Electric Veng, Lunglei,
Mizoram.

On 18th July, 1992, at 5.00 P. M., Kumari Chingi was cooking on a kerosene stove. While cooking, she poured kerosene into the stove with the result that the stove caught fire. In the process, the dress worn by Kumari Chingi caught fire and she shouted for help. On hearing her frantic screams, Shri Independenta who was living on the first floor of the same building, rushed to her rescue.. He entered Kumari Chingi's room and brought her out. As the stove was still burning dangerously, he apprehended danger to the remaining occupants of the same building. He re-entered the house and threw the burning stove out. In the process, he got seriously burnt. He rolled down the slope outside the building and lost consciousness. He was admitted in the hospital in an unconscious state and succumbed to the burn injuries on 21st July, 1992.

Shri Independenta showed exemplary courage and concern for human life in coming to the rescue of a hapless girl and in the process made the supreme sacrifice.

2. Shri Sanjay, (*Posthumous*)
235, Mohalla Dharampuri,
North Civil Line,
P. S. Civil Line,
Muzaffarnagar,
Uttar Pradesh.

On 20th August, 1992 at about 9.30 P. M., Shri Sanjay, who was standing with his friends near the railway lines, saw a train coming from Meerut side. He also noticed that a man was sleeping on the same track. Shri Sanjay sensed the danger and immediately rushed to his rescue. He at once pulled him out of the track and thus saved his life. But, in he process, he was seriously injured and later he succumbed to the injuries.

Shri Sanjay displayed conspicuous courage and promptitude in saving the life of a man from being crushed under a train but unfortunately, he lost his own life in the process.

3. Kumari Rita Gupta,
Village Devaria Ramnath,
Ward No. 4, West to CC Road,
Police Station Kothawali,
Tehsil and Distt. Devaria, U. P.

On the night of 24/25th January, 1990 at 12.00 night, four dacoits armed with weapons and bomb attacked the house of Shri Ganga Prasad Gupta. They blasted a wall of the house with a bomb and injured many members of the family. The dacoits started demanding valuables. On seeing this Kumari Rita Gupta could not resist herself and pounced on the dacoits. During the tussle, the other members of family also got a chance to catch hold of them. They shouted for help and a police patrol party arrived there. The dacoits were arrested. Had Kumari Rita Gupta not pounced on the dacoits, they would have killed all the members of the family.

Kumari Rita Gupta showed conspicuous courage and promptitude in saving the live of the members of her family unmindful of the risk involved to her own life.

G. B. PRADHAN, Director

New Delhi, the 13th March 1993

No. 54-Pres/93.—The President is pleased to approve the award of 'Jeevan Raksha Padak' to the undermentioned persons :—

1. Shri Mylapalli Musalayya,
Door No. 5-46, Pandaruvanipeta,
H/O Thonangi, Gara Mandal,
Sri kakulam District,
Andhra Pradesh.

On 3rd February, 1992 in Mahodaya festival at Calingapatnam seashore in Srikakulam District, about 50 persons were taken on a pleasure trip in a fibre boat to the Bay of Bengal from the point where Vamsadhara river joints the sea. On the way, the boat developed engine trouble and capsized. All the passengers were struggling for lives. On seeing their plight, Shri Mylapalli Musalayya, himself a physically handicapped person rushed to their rescue. He immediately jumped into the sea and started rescuing the victims to the nearby boat. Later, some other persons of the fishermen community jjoined him in the rescue operations. Thus, above 25 precious lives were saved. Shri Musalayya went further into the sea and searched for the bodies of dead persons. He caught hold of three bodies and brought them on shore carrying them on his shoulders.

Shri Mylapalli Musalayya, inspite of his physical handicap (his one leg having been affected by polio, showed courage and promptitude of a very high order in saving the lives of about 25 persons totally unmindful of the grave risk involved to his own life.

2. Shri Anil Kumar,
262/8, Krishna Colony,
Bhiwani,
Haryana.

On 16th July, 1991, at about 1.30 A. M., some dacoits entered House No. 263/8, Krishna Colony, Bhiwani. They tied the house owner Shri Harish Kumar, snatched the keys and started collecting valuables. On seeing this, his wife Smt. Meena shouted as the dacoits were having daggers in their hands. Shri Anil Kumar who was sleeping in a room in House No. 262/8, went on the roof of House No. 261/8 and came to know about the incident. He went inside his house, brought a torch and entered his neighbour's house. One of the dacoits attacked him with his dagger and he resisted the attack with the help of the torch. Shri Sunil Kumar, brother of Shri Anil Kumar also came to his help. He caught hold of one of the dacoits. Shri Anil Kumar snatched the weapon from a dacoit and started fighting with them. One of the dacoits who was in the house and was removing jewellery and cash from the safe noticed that his other accomplice did not come out, attacked Shri Anil Kumar with a knife and Shri Anil Kumar got injuries but despite that he continued resisting the dacoits. He was successful in snatching all the weapons from the dacoits and foiled their robbery attempt but in the process he sustained severe injuries. He was taken to hospital and due to timely medical treatment his life was saved.

Shri Anil Kumar displayed courage and promptitude in resisting dacoits and saving lives unmindful of the grave risk involved to his own life.

3. Master Pardeep Kumar Tank,
Government High School,
Mehlana (Sonipat),
Haryana.

On 26th June, 1991, five women of village Mehlana went to West Yamuna Canal for washing their clothes. They fell into the deep water of the canal and shouted for help. Master Pardeep Kumar Tank, who was near the spot, on hearing their shouts, came rushing and without caring for his own safety, jumped into the canal. He succeeded in bringing two women out of the canal. He also tried to save remaining 3 women but could not locate them as they had drowned.

Master Pardeep Kumar Tank thus displayed conspicuous courage and promptitude in saving the lives of two women unmindful of the risk involved to his own life.

4. Shri Karingattil Thazha Kuniyil Kannan,
P. O. Pathiyarakkara (Via)
Puduppanam, Vadakara,
Kerala.

On 16th November, 1990, while Kumari Bindu, Kumari Savita ad Chathoth Janu Amma were takig bath in Kuttiadi river, Bindu and Savita slipped and fell down into the river and were drowning as they did not know swimming. Janu Amma made a attempt to save them but unfortunately Bindu tried to catch her. In the melee, all the three began to drown. A feeble old man of 75, Shri Karingattil Thazha Kuniyil Kannan, who was fishing in the river on his canoe, happened to see their plight, and at once rushed to their aid. He immediately reached the spot and saved one of them from drowning and took her in his canoe. By that time the other two had drowned to the bottom of the river. Shri Kannan though very weak jumped into the river and brought out safely both of them.

Shri Karingattil Thazha Kuniyil Kannan, thus, showed conspicuous courage and promptitude in saving the lives of three drowning women unmindful of the grave risk involved to his own life.

5. Shri K. E. Mohammed Abdul Khadar,
Kandathil House, Zacharia Ward,
Alappuzha,
Kerala.

6. Shri P. S. Ashraf,
Devaswom Purayidam,
Civil Station Ward,
Alappuzha,
Kerala.

On 5th October, 1989, an electric line broke and a live wire fell down in the premises of the residential house of Shri Kabeer. Shri Kabeer a mother, Smt. Nabeesa aged 50 years alongwith her two grand children was coming out of the house. Being illiterate and unaware of the consequences of touching a charged wire, she got severe electric shock. The lady and the children screamed for help. On hearing their frantic shouts, Shri K.E. Mohammed Abdul Khadar who was attending to some maintenance work at his house rushed to their rescue. He successfully separated two children from the live wire. However, in trying to save the old lady, he got a severe shock and was thrown away by its impact. He immediately came out of the house and yelled for help which drew the attention of Shri Asharaf an electrician in the State Transport Department who was passing by. He at once climbed on the electric pole with the help of Shri Mohammed Abdul Khadar and disconnected the live wire. Thereafter, Shri Mohammed Abdul Khadar rushed to the spot and removed the wire which was still in the hands of Smt. Nabeesa who by then was unconscious and her hand was scorched completely. Shri Asharaf and Shri Mohammed Abdul Khadar carried the 3 victims to the hospital for treatment.

S/Shri K. E. Mohammed Abdul Khadar and P. S. Asharaf showed conspicuous courage and promptitude in saving the life of a women and her two grand children from electrocution unmindful of the risk involved to their own lives.

7. Shri Ramakrishna, (Posthumous)
Durgakeri, Honnavar,
Uttara Kannada District,
Karnataka.

On 11th July, 1991, six year old Master Deepak Beerappa Naik accidentally came into contact with live wire which had fallen from an electric pole near his house and was crying for help. Smt. Surekha saw this and informed her husband, Shri Ramakrishna. Shri Ramakrishna immediately rushed to the spot and rescued the boy. But, as ill luck would have it, in the rescue process, he himself came in contact with the live wire and got electrocuted.

Shri Ramakrishna showed conspicuous courage and promptitude in saving the life of the six year old boy but in the process lost his own life.

8. Smt. Sarada,
w/o Shri T. S. Kankan,
Kizhakkethayyil,
Kottamkulangara Ward,
Avalukkunnu P. O.,
Alappuza-688 007,
Kerala.

On 3rd March, 1991, a country boat carrying agricultural labourers, including women, capsized in the middle of the lake and all the passengers were thrown out of the boat and fell into the lake. All of them were swimming back to safety. One of the passengers, Smt. Sarda also started swimming towards the nearby shore when she heard the frantic shouts of her co-workers for help while they were struggling for their lives. At once, she rushed to them. She caught hold of the hair of Smt. Biji and Smt. Ampi, took them on her shoulder and swam to safety amidst the wreckage of the country boat that was floating in the water. At this time, she heard the feeble voice of Smt. Omana, a relative of hers, who was struggling for her life. Without hesitation she again rushed to the spot. Smt. Sarada caught hold of the hapless victim's hair and brought her on to the floating wreckage. In the meanwhile, people from the shore reached in a country boat and saved all of them.

Smt. Sarada showed exemplary courage and promptitude in saving the lives of three drowning women unmindful of the risk involved to her own life.

9. Master Dilip, s/o Shri Dhudmal,
Yatra Maidan, Dhansar Road,
Satwas, Tehsil Kanaud,
District Devas, Madhya Pradesh.

10. Master Mahesh, s/o Late Shri Sohan Lal,
Yatra Maidan, Dhansar Road, Satwas,
Tensil Kanaud, District Devas,
Madhya Pradesh.

11. Master Raghu, s/o Shri Phool Singh,
Yatra Maidan, Dhansar Road, Satwas,
Tensil Kanaud, District Devas,
Madhya Pradesh.

On 14th June, 1992, 7 women and one 12 year old girl went to jungle to collect fire wood. While returning they stopped at river Chandrakesar for rest and for drinking water. Kumari Manabai aged 12 years, went for bathing. She went into deep water and started drowning. On seeing this other women jumped into the river to save the life of Kumari Manabai but they also started drowning. On seeing this, Master Raghu, Master Mahesh and Master Dilip who were taking bath nearby jumped into the river to save them. Drowning women caught hold of the feet of Master Raghu and Master Dilip. Master Mahesh, however, freed them from their clutches and brought them out of water. Master Raghu brought one women out of water and then helped Master Mahesh and Master Dilip in saving the lives of the remaining women.

Master Dilip, Master Mahesh and Master Raghu showed conspicuous courage and promptitude in saving the lives of seven women from drowning unmindful of the risk involved to their own lives.

12. Shri Kedar Nath Patil, (Posthumous)
Sarpanch, Gram Panchayat,
Jiggaon Khund, District Harda,
Madhya Pradesh.

On 3rd April, 1988, the house of Shri Bhagwandas Goojar suddenly caught fire and the fire started spreading to the neighbouring houses. On observing that the fire cannot be controlled, Shri Kedar Nath Patil on his motor-cycle went to nearby villages to inform about the fire and also went to Harda to seek help of the Administration to control the fire. Immediatly after informing the Administration, he returned to the spot and started his efforts to extinguish the fire. In the process he sustained burn injuries and became unconscious. He was taken to Harda for medical treatment but he succumbed to burn injuries.

Shri Kedar Nath Patil displayed conspicuous courage and promptitude in his efforts to save the lives of many persons from fire but unfortunately he lost his own life in this process.

13. Kumari Meenakshi Sen,
Opposite Gond Nursing Home,
Khurjewala Mohalla,
Daulatganj, Lashkar,
Gwalior,
Madhya Pradesh.

On 11th March, 1991, Master Avnish, aged 11 years, was playing with some boys in front of Gond Nursing Home. He came in contact with an electric pole and got stuck to it as electric current was passing through the pole. He shouted for help. Many people gathered there but no one dared to come forward to rescue him. Kumari Meenakshi Sen who was inside her home heard the cry and came out. She rushed to the helpless boy and with the help of a piece of wood she pulled him away from the pole and thus saved his life.

Kumari Meenakshi Sen showed conspicuous courage and promptitude in saving the life of a boy from electrocution unmindful of the risk involved to her own life.

14. Master Mohd. Daud Siddiqui,
s/o Shri A. R. Siddiqui,
Telecom Colony, Q. No. 11/8,
Idgah Hills,
Bhopal,
Madhya Pradesh.

On 24th December, 1990, some children were playing hide and seek. Kumari Usma, aged 5 years went into a dustbin for hiding in which a heap of garbage was burning. She got burn injuries and shouted for help. Master Mohammed Daud Siddiqui aged 5 years had just returned from Mosque after offering his prayer. He rushed to rescue her and successfully brought her out of the dustbin. In this process, he himself got severe burn injuries and became unconscious.

Master Mohd. Daud Siddiqui, despite his tender age, showed conspicuous courage and promptitude in saving the life of a girl from burning unmindful of the risk involved to his own life.

15. Shri Amarchand Tukaram Patil,
Sugvekar Ali, Neral, Tal. Karjat,
District Raigad,
Maharashtra-410101.

On 24th July, 1989, there was heavy flood in Karjat Taluka. A small house of Neral situated on the bank of Ulhas river was completely surrounded by the flood waters and 17 persons were trapped inside. The lives of all the 17 persons were in peril. The Police tried to rescue them with the help of local public but in vain. Shri Amarchand Tukaram Patil at the risk of his life reached the marooned house and rescued all the persons with the help of a rope.

Shri Amarchand Tukaram Patil displayed a very high standard of courage and promptitude in saving the lives of 17 marooned persons unmindful of the grave risk involved to his own life.

16. Shri Vasant Narayan More,
At Panvel, Abdul Razak Building,
House No. 10, Pardesh Ali, Panvel,
District Raigad,
Maharashtra.

On 5th August, 1988, a school bus carrying 54 students collapsed in a big ditch containing water contaminated with acid near the Hindustan Insecticides Ltd. Shri Vasant Narayan More saw this and rushed to the rescue of the trapped children. He at once jumped into the water and reached the ill-fated bus. He broke the glasses of the bus and went inside. He brought all the trapped children out to safety and in the process got his entire body charred due to the acidulous water.

Shri Vasant Narayan More showed conspicuous courage and promptitude in saving the lives of 54 students totally unmindful of the grave risk involved to his own life.

17. Master U. Ripil Bareh,
Khimmusniang, Jowai,
Jaintia Hills,
Meghalaya.

On 25th April, 1992, a 12 year old boy, Master Lamdeibha Suchen was drowning in the river Myntdu while taking bath. The boy was struggling for his life. Another 14 year old boy named Master U. Ripil Bareh, who happened to be there saw his plight and rushed to his rescue. He at once jumped into the river (this part of the river is considered dangerous and two persons had died there in the past) and reached the drowning boy. He caught hold of him, carried him on his back and swam back to the bank of the river. Meanwhile, some people gathered there and administered first aid. Later, the boy was hospitalised.

Master U. Ripil Bareh showed exemplary courage and promptitude in saving the life of the drowning boy (whom he did

not know beforehand), unmindful of the grave risk involved to his own life.

18. Master Lalhmangaiha,
s/o late Shri Dengsailova,
Chithar Village,
Lunglei District,
Mizoram.

On 9th July, 1992, Shri Dengsailova and his son, Master Lalnmangaina of Chithar village were going to Thangte village to collect rice. While they were going along the Kangtek river about 5 Kms from their village, they were suddenly accosted by a wild bear which was about attack Shri Dengsailova. Shri Dengsailova took out his dao and gave a full throated war-cry to scare away the bear. But the bear attacked him and a fight ensured between them. The bear overpowered him, pushed him down and bit him all over his face, throat and head. On seeing this, Master Lalhmangaiha rushed to his father's rescue. He caught hold of the cropped dao of his father and struck the beast repeatedly with all his strength. The beast then turned towards the boy and attacked him. It bit him on his thigh and the boy was bleeding profusely. But the boy did not lose heart and gave a severe blow to the beast with his dao on its face and the beast ran away into the jungle. The boy unmindful of his own injuries started attending to his father who was bleeding profusely and sinking. He laid him down and ran to the village to inform the villagers about the incident unmindful of his own injury. The villagers rushed to the spot but by then Shri Dengsailova was dead.

Master Lalhmangaiha showed exemplary courage and bravery in trying to save the life of his father from the clutches of a wild bear unmindful of the grave risk involved to his own life.

19. Shri Gulbadan Talli, (*Posthumous*)
At-Khaparsahi,
P. O./P. S. Deogarh,
District Sambalpur,
Orissa.

On 11th August, 1990, during Anti-Mandal agitation, an Orissa State Transport Corporation bus was forcibly taken to Vani Vihar Campus by a group of students of Utkal University. They sprinkled petrol on the bus and the driver and set fire to the bus. The driver of the bus, Shri Gulbadan Talli protested against the wanton destruction of public property and refused to leave the bus till the bus crew and passengers were conducted to safety. He sustained severe burn injuries and died.

Shri Gulbadan Talli showed examplary courage and devotion to duty in trying to save the lives of many passengers and public property and in the process sacrificed his own life.

20. Ms. Kamlesh Verma,
3-CH.-10, Vigyan Nagar,
Kota,
Rajasthan.

On 13th February, 1988, a group of sttudents and teachers of Mayank Secondary School, Kota went to Rameshwaram (District Boondi) on a sight-seeing tour. This place is situated in the hills. There is also a nullah in this area which is at a height on 50 metres from the earth. When the touring party was taking their lunch, honey bees from three honeycombs suddenly attacked them. Due to this, 7 students and 2 teachers became unconscious Ms. Kamlesh Verma, a student of the school, showed extraordinary courage and shifted them on her shoulders to a safer place by crossing the nullah stairs and thus saved their lives.

Ms. Kamlesh Verma showed conspicuous courage and promptitude in saving the lives of 9 persons unmindful of the risk involved to her own life.

21. Shri Roop Prakash Shukla,
s/o Shri Om Prakash Shukla,
Chatikma Mohalla,
Karoli,
Rajasthan.

On 30th July, 1990, Shri Budhhu and Shri Banwari, aged 12 & 18 years respectively, while bathing in a pond, could not control themselves and started drowning. Though many people had gathered around, none took any initiative to rescue the drowning persons. At this point of time, Shri Roop Prakash Shukla, who had come there to take bath, immediately rushed to the spot to rescue the drowning persons from the tank and successfully brought both of them out, thus saving two precious lives.

On 17th, 19th and 24th March, 1991, people had come from various places to attend the Kailadevi fair and were taking bath in the Kalisil river. As some of them entered the deep water zone and were about to be drowned, Shri Roop Prakash Shukla was instrumental in saving a 9-year old boy, a lady named Susheela Devi and Shri Premsingn Jatav respectively on all the three occasions by risking his own life.

On 26th March, 1991, Shri Sampu, an electrician was repairing some electric equipment when he came into contact with live electric wires and got stuck. Shri Shukla removed the electric wires with the help of a piece of wood and took him to hospital for treatment.

Thus Shri Roop Prakash Shukla saved the lives of five persons from drowning and one person from electrocution on various occasions displaying conspicuous courage and promptitude unmindful of the risk involved to his own life.

22. Shri Gaurav Saxena, (Posthumous)
B-110, Tons Colony,
Dak Pathar,
Dehradun,
Uttar Pradesh.

On 13th May, 1991, Shri Gaurav Saxena and Shri Vivek with other friends went to barrage for a walk. After walking and skating, Shri Vivek and Shri Gaurav Saxena entered into the barrage for bath. While bathing, Shri Vivek was swept away by the fast current of water. As he did not know swimming, he shouted for help. Shri Gaurav Saxena jumped into the deep water to save the life of Shri Vivek but he got exhausted after swimming for sometime in the fast current of water and in his efforts to save the life of his friend, he himself got drowned in the deep waters of the barrage.

Shri Gaurav Saxena displayed conspicuous courage and promptitude in trying to save the life of his friend but unfortunately lost his own life and made supreme sacrifice in the process.

23. Shri Vijay Kumar Damele, (Posthumous)
At Banyota, P. S. Kotwali,
Banda, District Banda,
Uttar Pradesh.

On 6th January, 1991, the shop of Shri Bhola Prasad Sahoo suddenly caught fire and his daughter was trapped inside the burning shop. Sensing that the girl was going to burn to death. Shri Vijay Kumar Damele immediately entered the shop and brought the girl out safely. In the process, he sustained severe burn injuries and later succumbed to them.

Shri Vijay Kumar Damele showed conspicuous courage and promptitude in saving the life of a girl from fire but unfortunately lost his own life in the process.

24. Shri Bachan Singh Jayara,
Sanitary and Food Inspector,
Municipal Committee, Hardwar,
Uttar Pradesh.

On 21st March, 1991, while cleaning the public sewer, Safai Karamchari Shri Harishchandra was caught in the poisonous sewer gas. To save his life, two safai karamcharis, Shri Saktu and Shri Kati, entered into the manhole of the sewer but both become unconscious due to the effect of gas On seeing this, Shri Bachan Singh Jayara, Sanitary and Food Inspector fully aware of the presence of the noxious gas rushed to their aid. He entered the manhole but the moment he was able to tie Kati with a rope, he also became unconscious. Shri Jayara and Shri Kati were brought out from the manhole with the help of a rope by a passer-by Shri Virbhan Upadhyaya and admitted to hospital for treatment. The two safai karamcharis Shri Harishchandra and Shri Saktu,

however, died on the spot. Thus, the life of Shri Kati could be saved due to the prompt action of Shri Jayara.

Shri Bachan Singh Jayara displayed promptitude, courage and concern for human life in saving the life of a safai karamchari unmindful of the grave risk involved to his own life.

25. No. 0147/D/44 Cadet Rajat Gulati,
INS Mandovi, Southern Naval Command.

On 8th September, 1991, Cadet Rajat Gulati alongwith eight other coleagues had gone for a picnic to Arambal beach near Panjim. The group waded upto knee deep water and were playing there. Suddenly, Cadet Gulati heard frantic cries for help and as he turned around, he noticed four of his colleagues swiftly drifting seaward. Being non-swimmers, they were splashing violently to stay afloat. On seeing their plight, Cadet Gulati rushed to their rescue. There was a strong seaward current in the area and the bottom was rocky. Even though he was exhausted after the first rescue attempt, Cadet Gulati made three more forays into the sea to rescue his colleagues in distress.

Cadet Gulati had just finished his herculean rescue when he heard a fisherman shouting and pointing to a place where one more cadet had disappeared. Though extremely exhausted, he again dived into the sea in search of the fifth cadet but could not find him; the cadet's body was recovered from the sea the next day.

Cadet Gulati showed exemplary courage and concern for human life in coming to the rescue of his drowning colleagues unmindful of the grave risk to his own life.

26. 2580938 Lance Naik Chandran,
Ordnance Depot, Shakurbasti,
Delhi-110 056.

Lance Naik Chandran of 3 Madras was located at Rudrapravag during Exercise Indra Dhanush from 14th September, 1990 onwards. On 18th September, 1990 around 2.30 P.M. some civilians reported that a civil bus of Garhwal Motors Organisation Unit carrying 54 passengers going from Rishikesh to Badrinath had fallen about 350 metres down the ravines five kilometres away from Rudrapravag near the main road itself. Lance Naik Chandran alongwith fellowmen rushed to the spot of accident. They could see some civilians lying dead and a few trying to get away from the site. Till then, no rescue had been organised. Lance Naik Chandran alongwith a rescue party of 3 MADRAS and 5 SIKH went down the steep gorge, with the help of anchored ropes. They found that about 29 passengers were already dead and the rest were injured very seriously. Lance Naik Chandran tied one of the civilians to his back and with the help of rope hauled himself up and the civilian. The process was tedious and cumbersome. However, with dogged determination, he hauled him up along a vertical climb of 300 metres. The civilian was later evacuated to Civil Hospital at Rudrapravag where after medical treatment he survived. The process was continued till all the 25 injured passengers were evacuated.

27. G/082165-H Pioneer Mauji Ram
1605 PNR Coy (GREF),
C/o 99 APO.

On 14th March, 1992, an LPT with 18 personnel on board fell into a four hundred-metre deep valley at Km 15 on its way to Tikabali from Along. The ill-fated vehicle and the personnel were not traceable as the accident site was highly dangerous and it involved great risk to undertake any rescue operation. Moreover, the slope was so deep and steep that nothing was visible. On hearing the news of the accident, Pioneer Mauji Ram rushed to the site. Soon Major B. S. Sidhu, Officer Commanding of 1074 Field Workshop arrived at the site and decided to undertake the extremely risky rescue mission. Major Sidhu and MT/DVR Altaf Hussain were descending down the valley to reach the ill-fated vehicle, with the help of ropes. Pioneer Mauji Ram soon joined the rescue party. They were all going down with the help of ropes. The descent was not smooth as shooting stones were hitting the rescuers on their way. Pioneer Mauji Ram alongwith others reached the ill-fated vehicle with great grit and determination. The rescue party could successfully extricate 14 injured personnel and 4 dead bodies by lifting them on their backs through rope climbing. In the process, Pioneer Mauji Ram was hit badly by one of the shooting stones and was severely injured. Others also got minor hurts.

Pioneer Mauji Ram displayed exemplary courage and exceptional dedication in saving the lives of helpless victims of the accident unmindful of the grave risk to his own life.

28. 9084410 Lance Naik Bharat Bhushan
11, Jammu and Kashmir Light Infantry,
C/o 56 APO.

On 5th April, 1991, a boat carrying 26 passengers and 5 oxen capsized in the middle of River Ravi and all the victims were struggling for their lives and were drowning. The Sentry of 'D' Company of 11 J&K Light Infantry stationed at the ferry crossing site on the banks of the river noticed this and raised an alarm. Two rescue teams were immediately formed by the Company. Lance Naik Bharat Bhushan joined one of the rescue teams and rushed to the aid of the helpless drowning persons. He rescued many persons from drowning. After successfully rescuiting the helpless victims, he also rendered first aid.

Lance Naik Bharat Bhushan showed conspicuous courage and promptitude in saving the lives of many persons from drowning unmindful of the grave risk involved to his own life.

G. B. PRADHAN, Director

MINISTRY OF PERSONNEL, P. G. & PENSIONS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

RULES

New Delhi, the 27th March 1993

No. 9/2/93-CS-II.—The Rules for a Limited Departmental Competitive Examination for inclusion in the Select Lists for the Upper Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service, Railway Board Secretariat Clerical Service, Department of Tourism (Headquarters Estt.), Central Vigilance Commission and Secretariat of Election Commission of India to be held by the Staff Selection Commission in 1993 are published for general information.

2. The number of persons to be selected for inclusion in the select list will be specified in the Notice issued by the Commission. Reservations shall be made for the candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes after taking into account the vacancy position reported to the Commission by the indenting cadres/offices.

Scheduled Castes/Tribes mean any of the Castes/Tribes mentioned in the Constiution : namely,

1. The Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950.
2. Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950.
3. Constitution (Scheduled Castes) (Union Territories) Order, 1951.
4. The Constitution (Scheduled Tribes) (Union Territories) Order, 1951.
5. The Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956.
6. The Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959.
7. The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962.
8. The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962.
9. The Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964.
10. The Constitution (Uttar Pradesh) Scheduled Tribes Order, 1967.
11. The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968.

12. The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968.

13. The Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970.

14. The Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order, 1978.

15. The Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order, 1978.

16. The Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Tribes Order, 1989, and amended from time to time.

2A. Reservation shall also be made for candidates belonging to the Physically handicapped (for OH and HH only).

3. The examination will be conducted by the Staff Selection Commission in the manner prescribed in the Appendix to these Rules.

The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Commission.

4. Any permanent or regularly appointed temporary officer of the Lower Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service, or Railway Board Secretariat Clerical Service, or the Department of Tourism (Headquarters Estt.) or Central Vigilance Commission or the Election Commission of India who on the 1st August, 1993 satisfies the following conditions, shall be eligible to appear at the examination.

(1) Length of Service

He should have on the 1st August, 1993 rendered an approved and continuous service of not less than 5 years in the Lower Division Grades of the Central Secretariat Clerical Service, or Railway Board Secretariat Clerical Service or in the post of Lower Division Clerk in the Department of Tourism (Headquarters Estt.) or in the Central Vigilance Commission or an approved and continuous service of not less than 3 years in the post of Lower Division Clerk in the Secretariat of Election Commission of India.

Provided that if he had been appointed to the Lower Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service, Railway Board, Secretariat Clerical Service, the Department of Tourism (Headquarters Estt.) or the Central Vigilance Commission on the result of a Competitive Examination, including a Limited Departmental Competitive Examination, the result of such examination should have been announced not less than 5 years before the crucial date and should have rendered not less than 4 years approved and continuous service in that Grade:

Provided that if he had been appointed to a post of Lower Division Clerk in the Secretariat of Election Commission of India on the results of a Competitive Examination including a Limited Departmental Competitive Examination, the results of such examination should have been announced not less than 3 years before the crucial date and should have rendered not less than 2 years approved and continuous service in that Grade.

Note (1)—The limit of 5 years of approved and continuous service will also apply if the total reckonable service of a candidate is partly as a Lower Division Clerk and partly as Upper Division Clerk in the Central Secretariat Clerical Service or Railway Board Sectt. Clerical Service or the Department of Tourism (Headquarters Estt.) or the Central Vigilance Commission.

Note (2)—The limit of 3 years of approved and continuous service will also apply if the total reckonable service of a candidate is partly as a Lower Division Clerk and partly as Upper Division Clerk in the Secretariat of Election Commission of India.

Note (3)—Any permanent or regularly appointed temporary Lower Division Clerk of the Central Secretariat Clerical Service or Railway Board Secretariat Clerical Service or of the Secretaria' of Election Commission of India or of Department of Tourism (Headquarters Estt.) or of Central Vigilance.

Commission who joined the Armed Forces during the period of operation of proclamation of Emergency issued on 26th October, 1962, namely 26th October, 1962 to 9th January, 1968, would on reversion from the Armed Forces, be allowed to count the period of his service (including the period of training if any) in the Armed Forces towards the prescribed minimum service.

Note (4)—Lower Division Clerks who are on deputation to ex-cadre posts with the approval of the competent authority will be eligible, to be admitted to the examinations if otherwise eligible. This, however, does not apply to a Lower Division Clerk who has been appointed to an ex-cadre post or to another Services on 'transfer' and does not have a lien in the Lower Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service or Railway Board Secretariat Clerical Service or the Secretariat of Election Commission of India or the Department of Tourism (Headquarters Estt.) or the Central Vigilance Commission.

(2) Age

(a) He should not be more than 50 years of age as on 1st August, 1993 i.e., he must not have been born earlier than 2nd August, 1943, if he is permanent or regularly appointed Lower Division Clerk of any of the Services mentioned in para 1 above.

(b) The upper age limit prescribed above will be further relaxable :—

(i) upto a maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe;

(ii) upto a maximum of three years in the case of Defence Service Personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof;

(iii) upto a maximum of eight years in the case of Defence Services Personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof and who belongs to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes;

(iv) upto a maximum of three years in the case of Border Security Force personnel disabled in operations during the Indo-Pakistan hostilities of 1971 and released as a consequence thereof;

(v) upto a maximum of eight years in the case of Border Security Force Personnel disabled in operations during the Indo-Pakistan hostilities of 1971 and released as a consequence thereof, and who belongs to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes.

SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMIT PRESCRIBED CAN IN NO CASE BE RELAXED

(3) Typewriting Test: Unless exempted from passing the monthly/Quarterly Typewriting Test held by Union Public Service Commission/Secretariat Training School/Institute of Secretariat Training and Management (Examination Wing)/ Subordinate Service Commission/Staff Selection Commission for the purpose of confirmation in the Lower Division Grade he should have passed this test on or before the date of notification of the examination.

5. The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final.

6. No candidate will be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Commission.

7. A candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of :—

(i) obtaining support for his candidature by any means.

(ii) Impersonating; or

(iii) procuring impersonation by any person; or

(iv) submitting fabricated documents or documents which have ben tampered with; or

(v) making statements which are incorrect or false, or suppressing material information; or

(vi) resorting to any other irregular or improper means in connection with his candidature for the examination; or

(vii) using unfair means in the examination hall or

(viii) misbehaving in the examination hall; or

(ix) writing irrelevant matter, including, obscene language or pornographic matter in the script(s); or

(x) taking away Question Booklet/answer sheet with him/her from the examination hall or passing it on to unauthorised person/persons during the conduct of their examination.

(xi) harassing or doing bodily harm to the staff employed by the Commission for the conduct of their examination.

(xii) violating any of the instructions issued to the candidates alongwith their Admission Certificates permitting them to take the examination; or

(xiii) attempting to commit or, as the case may be, abetting the commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses.

may, in addition to rendering himself liable to criminal prosecution, be liable :—

(a) to be disqualified by the Commission from the examination for which he is a candidate; or

(b) to be debarred either permanently or for a specified period;

(i) by the Commission from any examination or Selection hold by them; and/or

(ii) by the Central Government from any employment under them.

(c) to disciplinary action under the appropriate rules.

8. Any attempt on the part of the candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Commission to be a conduct which would disqualify him for admission to the examination.

9. After the examination, the candidates will be arranged by the Commission in five separate lists in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate and in that order so many candidates as are found by the Commission to be qualified by the examination shall be recommended for inclusion in the Select Lists for the Upper Division Grade upto the required number.

Provided that the candidate belonging to any of the Scheduled Castes or Scheduled Tribes may, to the extent the number of vacancies reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes cannot be filled on the basis of the general standard, be recommended by the Commission by a relaxed standard to make up the deficiency in the reserved quota subject to the fitness of these candidates, for inclusion in the Select List for the Upper Division Grade irrespective of their ranks in the order of merit at the examination.

NOTE—Candidates should clearly understand that this is a Competitive and not a qualifying examination. The number of persons to be included in the Select List for the Upper Division Grade on the results of the examination is entirely within the competence of Government to decide. No candidate will, therefore, have any claim for inclusion in the Select List on the basis of his performance in his examination as a matter of right.

10. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidate shall be decided by the Commission in its discretion and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

11. Success in the examination confers no right to selection unless the cadre authority is satisfied, after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate having regard to his conduct in service, is suitable in all respect for selection.

Provided that the decision as to whether a particular candidate recommended for selection by the Commission is not suitable shall be taken in consultation with Department of Personnel and Training.

12. A candidate who after applying for admission to the examination or after appearing at it, resigns his appointment in the Central Secretariat Clerical Service/Railway Board Secretariat Clerical Services/Election Commission, Department of Tourism (Headquarters Estt.)/Central Vigilance Commission or otherwise quits the Service or severs his connection with it or whose services are terminated by the Department or, who is appointed to an ex-cadre post or to another Service on 'transfer' and does not have a lien in the Lower Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service/Railway Board Secretariat Clerical Service/Election Commission/Department of Tourism (Headquarters Estt.)/Central Vigilance Commission will not be eligible for appointment on the result of this examination.

This, however, does not apply to a Lower Division Clerk who has been appointed on deputation to an ex-cadre post with the approval of the competent authority.

KARTAR SINGH
Under Secy. (SII).

APPENDIX

The examination shall be conducted according to the following plan :—

Part I—Written examination carrying a maximum of 300 marks in the subjects as shown in para 2 below.

Part II—Evaluation of record of service of such of the candidates who attain at the written examination a minimum standard as may be fixed by the Commission in their discretion carrying a maximum of 100 marks.

2. The subjects of the written examination in Part I, the maximum marks allotted to each paper and the time allowed will be as follows :—

Subject	Maximum Marks	Time
Paper—I (Objective Type) :		
(a) General awareness 100 Questions.		
(b) Comprehension and writing ability of English Language 100 Questions.		
	200 marks	2 Hours
Paper—II Noting, Drafting & Office Procedure.		
	100 Marks	2 Hours

Paper—I will be Objective-Multiple-Choice-Type whereas the paper-II will be Descriptive type.

Note—There will be separate papers on Nothing, Drafting and Office Procedure for candidates belonging to the three categories, viz.

(i) C.S.C.S., Department of Tourism (Headquarters Estt.) and Central Vigilance Commission.

(ii) R. B. S. C. S.

(iii) Election Commission.

3. The syllabus for the examination will be as shown in the Schedule below.

Note 1—Candidates are allowed the option to answer the Paper-II Noting, Drafting & Office Procedure either in English or Hindi.

Note 2—The option will be for a complete paper and not for different question in the same paper.

Note 3—Candidates desirous of exercising of the option to answer the aforesaid paper in Hindi (Devenagari) or in English should indicate their intention to do so clearly in column 6 of the application form; otherwise, it would be presumed that they would answer the paper in English.

Note 4—The option once exercised shall be treated as final and no requeste for alteration in column 6 of the application form shall ordinarily be entertained.

Note 5—Question papers will be supplied both in Hindi and English.

Note 6—No credit for paper-II will be given for answer written in a language other than the one opted by the candidate.

4. Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances will they be allowed the help of a prescribe to write the answers for them.

5. The Commission have discretion to fix qualifying marks in any or all the subjects at the examination.

6. Marks will not be allotted for mere superficial knowledge.

7. Deduction upto 5 per cent of the maximum marks in the written subject will be made for illegible handwriting.

8. Credit will be given for orderly, effective and exact expression, combined with due economy of words in all subjects of the examination.

SCHEDULE

Syllabus of Examination

Papers 1(a)—General Awareness: Questions will be aimed at testing the candidates general awareness of the environment around him and its application to society. Questions will also be designed to test knowledge of current events and of such matters of every day observations and experience in their scientific aspect as may be expected of an educated person. The test will also include questions relating to India and its neighbouring countries especially pertaining to History, culture geography, economic scene general polity and scientific research.

(b) Comprehension and writing ability of English Language: Questions will be designated to test the candidates understanding and knowledge of English language, vocabulary, spellings, grammer, sentence structure synonyms, antonyms sentence completion, phrases and idiomatic use of words etc. There will be a question on comprehension of a passage.

Paper-II—Noting and Drafting and Office Procedure: The paper on Noting and Drafting and Office Procedure will be designed to test the candidates knowledge of Office Procedure in the Secretariat and Attached Offices and generally their ability to write and understand notes and drafts.

Candidates belonging to Central Secretariat Clerical Service Department of Tourism (Headquarters Estt.) and Central Vigilance Commission are required to study the manual of office Procedure, Notes on Office Procedure issued by the Institute of Secretariat Training and Management and the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Lok Sabha and the Rajya Sabha and the Hand Book of Orders issued by the Ministry of Home Affairs regarding use of Hindi for Official purpose of the Union for this purpose.

Candidates belonging to Railway Board Secretariat Clerical Services are required to study the Manual of Office Procedure issued by the Railway Board and the Rules of Procedure and conduct of Business in the Lok Sabha and the Rajya Sabha and the Hand Book of Orders issued by the Ministry of Home Affairs regarding use of Hindi for Official purpose of the Union and the Indian Railway Compendium of Orders regarding use of Official Language for this purpose.

Candidates belonging to Election Commission of India are required to study the Manual of Office Procedure, Notes on Office Procedure issued by the Institute of Secretariat Training and Management and the Hand Book of Orders issued by the Ministry of Home Affairs regarding use of Hindi for Official purpose of the Union for this purpose.

(DEPARTMENT OF ELECTRONICS)

New Delhi, the 22nd February 1993

RESOLUTION

No. 17(38)/Comp/93.—1.0 The Government of India, Department of Electronics vide Gazette Notification dated December 27, 1986—Part-I, Sec-1, through a resolution No. 17(38)/Comp/84 (Part) dated December 18, 1986 announced a policy on Computer Software, Software Development and Training. One of the five objectives of this policy was

"To promote software exports, to take a quantum jump and capture sizeable share in international software market"

1.1 With a view to fulfill this objective, Department of Electronics decided "to promote development and export of Software and Software Services and to establish Software Technology Parks in various locations in the country to create infrastructure facilities such as data communication facilities and other amenities to be used by the enterprenuers for software development and export".

1.2 That decision was implemented by the Department of Electronics setting up Software Technology Parks at Bangalore, Bhubaneswar, Gandhinagar, Hyderabad, Noida, Pune and Thiruvananthapuram and was followed by the State Governments setting up Parks in Calcutta and Jaipur. The said approach to boost software export, known as Software Technology Park scheme, it amplified in the following paragraphs of this Resolution.

2.0 *Software Technology Park (STP) Scheme*

2.1 The Software Technology Park (STP) scheme is a 100% Export Oriented scheme for undertaking of Software Development for Export using data communication link or in the form of physical exports including export of professional services.

2.2 A Software Technology Park (STP) may be set up by the Central Government, State Governments or any combination thereof. A STP may be an individual unit by itself or it may be one of such units located in an area designated as STP Complex by the Department of Electronics.

2.3 The scheme is administered by the Department of Electronics, Government of India, through Directors of respective Software Technology Parks which form part of the Software Technology Parks of India, a society established by the Department of Electronics, Government of India and registered under the Society Registration Act 1860. An application in the prescribed format for establishing a Software Technology

Park unit is to be submitted to the Chief Executive of Software Technology Park Complex alongwith the details of the Software project. Such application will be considered by an Inter-Ministerial Standing Committee (IMSC) constituted under the Chairmanship of Secretary, Department of Electronics, Government of India notified vide Gazette Notification No. 294 dated August 13, 1991 published in Sub section-1 of section 3 of Part II of Extra Ordinary Gazette of India.

2.4 An STP unit may import free of duty all types of goods including capital goods. The duty exemption shall also apply to goods imported by the Software Technology Parks of India society for creating the central facility for use by Software Development units in the STP complex. The capital goods imported on loan from their client for a specified period executing the specific project shall also be allowed to the STP units.

2.5 An STP will be a duty free and bonded area under section 25 of the Custom Act 1962. The Custom duty exemption will be applicable as per custom notification No. 138, 139, 140 and 141-Custom/91 dated October 22, 1991 and as amended time to time.

2.6 The entire software developed by STP unit shall be exported except the sales in the Domestic Tariff Area (DTA). The sales in the DTA shall be permissible upto 25% of the export in value made by the STP unit.

2.7 The following supplies shall be counted towards the fulfilment of the export obligation of the export obligation of the STP unit :

2.7.1 Supplies effected in DTA under global tender conditions;

2.7.2 Supplies effected in DTA against payment in foreign exchange;

2.7.3 Supplies against Advance Licences and other import licences;

2.7.4 Supplies made to other STP units with the permission of the Chief Executive of STP.

2.8 The STP unit shall be eligible for the following benefits :

2.8.1 *TAX HOLIDAY*

The STP will be exempted for payment of corporate income tax for a block of five years in the first eight years of its operation.

2.8.2 *CLUBBING OF NET FOREIGN EXCHANGE (NFE)*

The NFE earned by the STP unit can be clubbed with the NFE of its parent/associate company in the DTA for the purpose of according Export House/Trading House/Star Trading House status for the later. NFE for this purpose will be calculated according to the formula given in para 138 of Chapter XII of the Export and Import Policy (1992-97).

2.8.3 *FOREIGN EXCHANGE*

As per paragraph 2 of the Memorandum attached to A.D. (M.A. Series) Circular No. 11 dated 29th February 1992 in terms of which all receipts in foreign exchange under the current account transactions are required to be surrendered to authorised dealers at official rate and market rate in the proportion of 40 : 60. It has been decided that the entire export earnings in foreign currency realised, on or after 1st July 1992, by software development Units set up in the Software Technology Park complexes, under the 100 percent Export-Oriented Scheme approved by Inter-ministerial Standing Committee, may be allowed to be converted at the market rate, irrespective of whether such exports were made in physical form or through data communication links. While allowing the conversion of the entire export proceeds at the market rate, authorised dealers should ensure that the export unit has been set up in the Software Technology Park under the 100% Export Oriented Scheme and that the export was declared on the GR form the Softex form, as appropriate.

2.8.4. 100% FOREIGN EQUITY

Foreign equity upto 100% is permissible in the case of STP units.

2.9. Supplies made from DTA to a STP unit will be regarded as deemed exports and will be eligible for the benefits specified in para 106 and 122 of the Export and Import Policy (1992-97). Such benefits shall be available provided the goods supplied are made against a letter of authority issued by Chief Executive of STP society established by the Department of Electronics, Government of India.

2.10. The Provisions of paragraph 111 to 117 of chapter IX of the Export and Import Policy (1992-97) applicable to Export Oriented units (EOUs) and units in Export Processing Zone (EPZs) shall also apply mutatis mutandis to STP units subject to the following modifications :

2.10.1. The words 'Development Commissioner' wherever it occur shall be substituted by the word 'Chief Executive of STP society'.

2.10.2. The word 'BOA' wherever it occurs shall be substituted by the word 'IMSC'.

2.11. Export obligation on the STP unit on net foreign exchange terms in US dollar value will be as follows :

Export Obligation — 1.5 × (CIF value of the hardware imported) + 1.5—× wages bill.

NOTES :

(i) The obligation on the hardware part will be fulfilled over a period of four years.

(ii) The obligation on wage bill will be on annual basis. Net foreign exchange for this purpose will be defined as below :

"Net Foreign Exchange earned for this purpose is defined as foreign exchange inflow as a result of Software Export less foreign exchange outflows on account of expenditure other than initial hardware and/or software import."

2.12 Use of Computer System in STP for training purpose is also allowed subject to the condition that no computer terminal will be installed outside the STP for this purpose.

3.0 This scheme is separate from the EOU/EPZ scheme incorporated in Chapter IX of the Export and Import Policy (1992-97). In respect of a Software unit established in an EPZ or as an EOU under Chapter IX of that Policy, the provisions of that Chapter will apply.

This notification is issued in public interest.

ORDER

ORDERED that the above resolution be published in the Gazette of India.

ORDERED also that a copy of the resolution be communicated to the Ministries/Departments of the Govt. of India and all others concerned.

N. GOPALASWAMI, Jt. Secy.

MINISTRY OF INDUSTRY

(DIRECTORATE GENERAL OF TECHNICAL DEVELOPMENT)

New Delhi, the 1993

RESOLUTION

In continuation of Resolution No. PL/12(63)/90, dated 4th December, 1991, and dt. 27-2-92, the Government of India have decided to amend the above Notification as per details below :

For

S. No. 22
Shri Shaish Kumar
Development Officer
DGTD, New Delhi

Read

Shri A. K. Agarwal
Asstt. Development Officer
DGTD, New Delhi.

Except for the Panel indicated above, the rest of the composition of the Resolution dated 4-12-1991 remains the same. The validity of the above Panel is upto 3-12-1993.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

MADAN MOHAN
Director (Administration)

MINISTRY OF LABOUR

DIRECTORATE GENERAL OF EMPLOYMENT & TRAINING

New Delhi, the 4th March 1993

RESOLUTION

No. DGET-19(21)/92-CD.—In partial modification of Ministry of Labour (Directorate General of Employment & Training) New Delhi Resolution No. TR/EP-24/56 dated 21st/24th August, 1956 (Amended upto 30th September, 1981) the composition of the National Council for Vocational Training (Para 5 stands amended) shall, hereafter be as under :—

5. Composition of the Council : The Council shall be constituted by the Government of India & shall consist of the following Members.

(a) The Union Minister for Labour/State Minister for Labour/Deputy Minister for Labour Chairman.

(b) The Secretary to the Government of India, Ministry of Labour.

(c) The Director General of Employment and Training and one representative of :

(i) Ministry of Surface Transport.

(ii) Ministry of Communication.

(iii) Ministry of Civil Aviation (Indian Air Lines).

(iv) Department of Mines.

(v) Development Commissioner Small Scale Industries.

(vi) Department of Industrial Development

(vii) Central Public Works Department.

(viii) Ministry of Defence (D.G.R.)

(ix) Financial Adviser (Labour)

(x) Ministry of H.R.D. (Deptt. of Education).

(xi) Ministry of Railways.

(xii) Central Water Commission.

(xiii) Planning Commission.

(xiv) Department of Power.

The representatives will, as far as possible be technical officers.

(d) One representative from each State Government and Union Territories Administration (State Directors dealing with Craftsmen Training Scheme).

(e) Three representatives of Employers Organisation to be nominated by the Government of India.

(f) Three representatives of the Workers Organisations to be nominated by the Government of India.

(g) Three representatives of professional and Learned bodies, to be nominated by the Government of India.

(h) One representative of the All India Council for Tech. Education to be nominated by that Council.

(i) One expert to be appointed by the Government of India.

(j) One representative each of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

(k) The Director of Employment Exchanges (DGET) Ministry of Labour.

(l) The Director of Training (DGET) Ministry of Labour—Member Secretary.

(m) One representative of an All India Women's Organisation.

(n) The Director of Apprenticeship Training (DGET) Ministry of Labour.

JAGDISH JOSHI
Director General of Employment
& Training/Joint Secretary
to the Government of India.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1993
Printed by the Manager, Govt. of India Press, Faridabad and Published by the Controller of Publications, Delhi, 1993